न्यायालय सत्र न्यायाधीश, देवरिया।

पीठासीन अधिकारी- धनेन्द्र प्रताप सिंह (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O. Code:- UP 2016

CNR NO UPDE 0100 1133 2010

सत्र परीक्षण संख्या- 47/2010

प्रस्तुत दिनांक-	:	14/04/2010
दर्ज दिनांक-	:	14/04/2010
निर्णय-	:	30/05/2026
समयावधि-	:	16 वर्ष, 01 माह, 16 दिन

राज्य **..............अभियोगी**

बनाम

1. **बैजनाथ पासवान** पुत्र सागर पासवान
2. **जयकेश** पुत्र राधेश्याम

साकिनान- सूरजपुर पासी टोला, थाना- रुद्रपुर, जिला- देवरिया।

.............अभियुक्तगण

मुकदमा अपराध संख्या- 777/2009,

धाराः- 182,286,304 भा.दं.सं.

थाना- रुद्रपुर, जिला- देवरिया।

एवं

CNR NO UPDE 0100 1130 2010

सत्र परीक्षण संख्या- 56/2010

प्रस्तुत दिनांक-	:	16/04/2010
दर्ज दिनांक-	:	16/04/2010
निर्णय-	:	30/05/2026

समयावधि- : 16 वर्ष, 01 माह, 14 दिन

राज्य **.............अभियोगी**

बनाम

बैजनाथ पासवान पुत्र सागर पासवान

साकिन- सूरजपुर पासी टोला, थाना- रुद्रपुर, जिला- देवरिया।

............अभियुक्त

मुकदमा अपराध संख्या- 778/2009,

धाराः- 182 भा.दं.सं. व 3/25 आयुध अधिनियम

थाना- रुद्रपुर, जिला- देवरिया।

वाद से सम्बन्धित विवरण संक्षेप में

घटना दिनांक	30.10.2009	समय	12:00-01:00 AM
प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक	31.10.2009	समय	08:30

सत्र सुपुर्दगी

एस.टी.नं.- 47/2010 & 56/2010
05.04.2010

आरोप विरचन

अभियुक्त बैजनाथ	12.07.2010
अभियुक्त जयकेश	18.05.2019

अभियोजन साक्षीगण का विवरण

पी.डब्लू.-1	मोतीलाल (वादी मुकदमा),	27.07.2015, 14.12.2018, 02.12.2022, 14.12.2022
पी.डब्लू.-2	चानमती	19.08.2015, 07.09.2015, 05.01.2023, 11.01.2023,

		16.03.2023
पी.डब्लू.-3	अवनीश कुमार,	16.10.2015, 02.08.2023, 19.08.2023
पी.डब्लू.-4	विन्ध्याचल,	10.02.2016, 12.04.2016, 07.07.2025, 10.07.2025
पी.डब्लू.-5	सूर्यभान,	06.08.2016,
पी.डब्लू.-6	सुमन पासवान,	23.08.2016, 30.07.2025
पी.डब्लू.-7	एस.आई. हरेन्द्र कुमार मिश्र,	23.11.2016, 06.12.2016, 07.08.2025
पी.डब्लू.-8	डॉ० एन.पी. गुप्ता,	16.01.2017
पी.डब्लू.-9	उप-निरीक्षक श्रीकृष्ण प्रजापति,	31.01.2018
पी.डब्लू.-10	चन्द्रदेव कुशवाहा,	02.11.2018

-:नि र्ण यः-

01. उपरोक्त दोनों सत्र परीक्षण संख्या- 47/2010, राज्य बनाम बैजनाथ पासवान आदि एवं सत्र परीक्षण संख्या- 56/2010, राज्य बनाम बैजनाथ पासवान, एक ही घटना क्रम से संबंधित है। अतएव सुविधा की दृष्टि से इन दोनों सत्र परीक्षण वादों का निस्तारण एक साथ किया जाना न्यायोचित है। यहाँ यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि इस न्यायालय के आदेश दिनांकित 11.08.2010 के अनुसार, उपरोक्त दोनों सत्र परीक्षण वादों को एकीकृत किये जाने का आदेश पारित किया गया है और सत्र परीक्षण संख्या- 47/2010 राज्य बनाम बैजनाथ पासवान आदि को लीडिंग केस माना गया है तथा उक्त लीडिंग केस में ही मौखिक साक्ष्य अंकित किये गये हैं तथा उपरोक्त दोनों पत्रावलियों को एक साथ निस्तारित किये जाने का आदेश पारित किया गया।

02. अभियुक्त **बैजनाथ पासवान** का परीक्षण पुलिस थाना रुद्रपुर, जनपद देवरिया, द्वारा प्रेषित आरोप-पत्र संख्या- 188/2009 दिनांकित

18.12.2009, अन्तर्गत धारा- 182, 286, 304 भारतीय दण्ड संहिता एवं आरोप-पत्र संख्या- 189/2009 दिनांकित 18.12.2009, अंतर्गत धारा- 182 भा.दं.सं. व 3/25 आयुध अधिनियम के आधार पर किया गया। उपरोक्त अभियुक्त के विचारण हेतु, तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपरोक्त पत्रावलियों को दिनांक 05.04.2010 को सत्र सुपुर्द किया गया।

03. दौरान विचारण अभियोजन पक्ष की ओर से प्रार्थना-पत्र, अंतर्गत धारा- 319 दं.प्र.सं., के आधार पर अभियुक्त जयकेश पासवान को धारा- 182,286,304 भा.दं.सं. व 3/25 आयुध अधिनियम, के अपराध में विचारण हेतु तलब किया गया है।

04. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रथम सूचनाकर्ता बैजनाथ पासवान पुत्र सागर पासवान, निवासी- पासी टोला सूरजपुर, थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया, द्वारा थाना रुद्रपुर, जिला- देवरिया, में इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया गया कि कल दिनांक 30.10.2009 को शाम को खाना खाने के बाद वह अपने मित्र दिनेश पासवान पुत्र मोतीलाल पासवान निवासी पासी टोला सूरजपुर के साथ घर से दूर धान की रखवाली के लिए खेतों पर गये थे जहाँ पर उसका भतीजा जयकेश पासवान पुत्र राधेश्याम पासवान भी साथ गया था खेत पर तीनो लोग उसके द्वारा रामलक्षन ठेके से लाये हुए शराब को पीये उसके बाद ये दोनों मित्र आपस में बात-चीत करते रहे और भतीजा जयकेश सो गया। ये दोनों लोग किसमत का खेल-खेल रहे थे कि उसका मित्र दिनेश पासवान ने 32 बोर वाले देशी रिवाल्वर से हाथ ऊपर करके दो बार ट्रिगर दबाया, उसने मना किया कि यह हथियार है इससे मत खेलों कि इस बीच उसके मित्र ने यह कहते हुए कि तुम इतने डरपोक हो देखो इसमें कुछ नहीं है और अपने कनपट्टी पर रिवाल्वर मोड़ कर चला दिया, जिसकी चोट से वह तुरन्त घायल हो गया वह अपने भतीजे जयकेश को जगाया और थोड़ी दूर पर चल रहे ट्यूबवेल पर विन्ध्याचल को जाकर सारी घटना बताया एवं ये लोग गाव में आकर उसके घर पर सूचना दिये तथा दिनेश को गंभीर हालत में लाद-पाथ कर इलाज के लिए गोरखपुर भेजवाया उसके बाद जिस रिवाल्वर से दिनेश ने अपने ऊपर फायर किया

था लेकर थाने आया है। अतः रपट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने की मांग की गई।

05. वादी मुकदमा के उपरोक्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर, थाना- रुद्रपुर, जिला- देवरिया में दिनांक 31.10.2009 को समय 08:30 बजे मुकदमा अपराध संख्या- 777/2009, अंतर्गत धारा- 286,304A भा.दं.सं., एवं 778/2009, अंतर्गत धारा-3/25 आयुध अधिनियम, में मृतक दिनेश पासवान के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गई, जिसकी प्रविष्टि संबंधित कायमी मुकदमा जी०डी० में की गई।

06. संबंधित विवेचक द्वारा आवश्यक अभियोजन साक्षीगण के बयान अंकित किये गए, घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया एवं मामले से संबंधित आवश्यक विवेचना सम्पादित कर, मृतक दिनेश पासवान की नामजदगी गलत पाते हुए एवं धारा-304 ए भा.दं.सं. को धारा-304 भा.दं.सं. के रुप में परिवर्तित करते हुए अभियुक्त बैजनाथ पासवान को नामजद कर उसके विरुद्ध आरोप-पत्र संख्या- 188/09, दिनांकित 18.12.2009, अंतर्गत धारा- 182,286,304 भा.दं.सं. के अपराध के संबंध में एवं आरोप-पत्र संख्या- 189/09, दिनांकित 18.12.2009, अंतर्गत धारा- 182 भा.दं.सं. व 3/25 आयुध अधिनियम के अपराध के संबंध में, संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया गया।

07. तत्पश्चात संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा आरोप-पत्र संख्या- 188/2009 एवं 189/2009 पर दिनांक 06.01.2010 को प्रसंज्ञान लेने के उपरान्त, मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण, अभियुक्त बैजनाथ पासवान की पत्रावली को दिनांक 05.04.2010 को सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया।

08. विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-15, देवरिया द्वारा दिनांक 12.07.2010 को अभियुक्त बैजनाथ पासवान के विरुद्ध धारा- 182,286,304 भा.दं.सं. व धारा- 3/25 आयुध अधिनियम के अपराध में आरोप विरचित किया गया और उसके विरुद्ध अभियोजन साक्ष्य की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। बाद में वादी मुकदमा की ओर से प्रस्तुत

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-319 दं.प्र.सं. पर अभियुक्त जयकेश पासवान के विरुद्ध विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.-प्रथम, देवरिया द्वारा संज्ञान लेते हुए उसके विरुद्ध दिनांक 18.05.2019 को धारा-182/34,286/34, 304/34 भा.दं.सं. के अपराध में, आरोप विरचित किया गया, जिससे प्रश्नगत अभियुक्त द्वारा इन्कार किया गया और उसके द्वारा विचारण की मांग की गई।

09. अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डब्लू०-1 मोतीलाल, पी०डब्लू०-2 चानमती, पी०डब्लू०-3 अवनीश कुमार, पी०डब्लू०-4 विन्ध्याचल, पी०डब्लू०-5 सूर्यभान, पी०डब्लू०-6 सुमन पासवान, पी०डब्लू०-7 एस.आई. हरेन्द्र कुमार मिश्र, पी०डब्लू०-8 डॉ० एन.पी. गुप्ता, पी०डब्लू०-9 उप-निरीक्षक श्रीकृष्ण प्रजापति, पी०डब्लू०-10 चन्द्रदेव कुशवाहा, को मौखिक साक्ष्य के रूप में, न्यायालय में परीक्षित कराया गया है।

10. अभियोजन की ओर से निम्नलिखित अभियोजन प्रपत्र दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये गये-

(i) पंचायतनामा, प्रदर्श क-01

(ii) पुलिस अधीक्षक को पत्र, प्रदर्श क-02

(iii) प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-156(3) दं.प्र.सं., प्रदर्श क-03

(iv) फर्द कब्जा एक अदद रिवाल्वर, प्रदर्श क-04

(v) नकल रपट दिनांकित 31.10.2009, प्रदर्श क-05

(vi) नक्शा नजरी, प्रदर्श क-06

(vii) फर्द कब्जा एक अदद जूट की बोरी, प्रदर्श क-07

(viii) नकल रपट दिनांकित 10.11.2009, प्रदर्श क-08

(ix) नकल रपट दिनांकित 07.12.2009, प्रदर्श क-09

(x) आदेश जिला मजिस्ट्रेट, प्रदर्श क-10

(xi) आरोप पत्र संख्या- 188/2009, प्रदर्श क-11

(xii) आरोप पत्र संख्या- 189/2009, प्रदर्श क-12

(xiii) पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रदर्श क-13

(xiv) नकल तहरीर हिन्दी वादी, प्रदर्श क-14

(xv) नकल रपट रोजनामचाआम, प्रदर्श क-15

(xvi) शव भेजने से संबन्धित पत्र, प्रदर्श क-16

(xvii) पुलिस प्रपत्र 33, प्रदर्श क-17

(xviii) फोटोनास, प्रदर्श क-18

(xix) नकल रपट, प्रदर्श क-19

(xx) मुत्यु की सूचना, प्रदर्श क-20

(xxi) पोस्टमार्टम हेतु सी.एम.ओ. को पत्र, प्रदर्श क-21

11. प्रस्तुत प्रकरण में दौरान विचारण अभियोजन पक्ष की ओर से प्रार्थना-पत्र 260ख, अंतर्गत धारा- 319 दं.प्र.सं., अभियुक्त जयकेश पासवान को अन्य सह-अभियुक्त के साथ विचारण हेतु तलब करने के लिए, प्रस्तुत किया गया, जिसे कि न्यायालय के आदेश दिनांकित 14.12.2018 द्वारा स्वीकार करते हुए, अभियुक्त जयकेश पासवान को धारा- 182,286,304 भा.दं.सं. व 3/25 आयुध अधिनियम, के अपराध के संबंध में विचारण हेतु तलब किया गया और उसके विरुद्ध आरोप विरचित कर विचारण की कार्यवाही की गयी।

12. उपरोक्त प्रश्नगत अभियुक्तगण बैजनाथ पासवान एवं जयकेश पासवान का बयान अन्तर्गत धारा- 313 दं.प्र.सं. अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण द्वारा पी.डब्लू.-01 लगायत पी.डब्लू.-06 के बयान के संबंध में कहा गया कि "गलत है।" एवं पी.डब्लू.-07 एस.आई. हरेन्द्र कुमार मिश्र के बयान के संबन्ध में कहा गया है कि "झूठा आरोप-पत्र लगाया है।" पी.डब्लू.-08 लगायत पी.डब्लू.-10 के बयान के संबंध में कहा गया कि "कुछ नहीं कहना है।" एवं कहा गया कि "झूठा मुकदमा चला है।" एवं प्रश्नगत अभियुक्तगण द्वारा सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया गया।

13. उल्लेखनीय है कि न्यायालय द्वारा पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद अभियुक्त पक्ष की तरफ से अपनी प्रतिपरीक्षा साक्ष्य/सफाई साक्ष्य में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14. मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध कराए गए समस्त साक्ष्य का सम्यक् रुप से परिशीलन किया।

15. प्रस्तुत मामले में अवधारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पर लगाए गए आरोपों को, पत्रावली पर उपलब्ध कराये गए साक्ष्य के माध्यम से, युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध कर सका है?

16. अभियोजन पक्ष की तरफ से, अपने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर, विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में घटना दिनांक 30.10.2009 को शाम को अभियुक्त बैजनाथ पासवान खाना खाने के बाद वह अपने मित्र मृतक दिनेश पासवान के साथ घर से दूर धान की रखवाली के लिए खेतों पर गये थे जहाँ पर उसका भतीजा जयकेश पासवान भी साथ गया था खेत पर तीनो लोग शराब पीये उसके बाद ये दोनों मित्र आपस में बात-चीत करते रहे और भतीजा जयकेश सो गया। उक्त घटना की विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा यह पाया गया कि उक्त घटना में बैजनाथ द्वारा ही 32 बोर के रिवाल्वर से मृतक दिनेश पासवान को गोली मार दी गयी जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। अभियुक्त के पास से उक्त रिवाल्वर बरामद हुआ है, जिसको रखने का कोई वैध लाइसेन्स नहीं था। दौरान विचारण अभियुक्त जयकेश की भी घटना में भूमिका पायी गयी है और न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध भी अपराध का संज्ञान लेते हुए आरोप विरचित किया गया है तथा उसके संबंध में भी अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। अभियोजन साक्ष्य से घटना बखूबी संदेह से परे साबित है। उक्त तर्कों के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किये जाने की याचना की गयी है।

17. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने अभियोजन पक्ष के उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए, प्रस्तुत मामले में दौरान बहस, मुख्यतः यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रस्तुत सत्र परीक्षण में कुल दो अभियुक्तगण बैजनाथ पासवान व जयकेश पासवान है। प्रस्तुत केस में सिर्फ एक अभियुक्त बैजनाथ पासवान के विरूद्ध विवेचक द्वारा आरोप पत्र

दाखिल किया गया है तथा विवेचना के दौरान जयकेश पासवान को निर्दोष पाया गया है। प्रस्तुत सत्र परीक्षण में संपूर्ण साक्ष्य होने के बाद न्यायालय द्वारा जयकेश पासवान पुत्र राधेश्याम पासवान को धारा-319 सी०आर०पी०सी० के तहत विचारण हेतु बतौर अभियुक्त तलब किया गया है। दौरान बहस यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त जयकेश पासवान के विरूद्ध आरोप विरचित होने के बाद पी०डब्लू०-01 मोतीलाल पुत्र बेचन, पी०डब्लू०-2 चानमती पत्नी मोतीलाल, पी०डब्लू०-3 अवनीश कुमार पुत्र मोतीलाल पासवान, पी०डब्लू०-4 विंध्याचल पुत्र बल्ली पी०डब्लू० 5 सूर्यभान पुत्र इन्द्रासन, पी०डब्लू०-6 सुमन पासवान पुत्री मोतीलाल पासवान, पी०डब्लू० 7 एस०आई० हरेन्द्र कुमार मिश्रा, पी०डब्लू-8 डा०एन०पी० गुप्ता, पी०डब्लू-9 उपनिरीक्षक हरि कृष्ण प्रजापति, पी०डब्लू- 10 चन्द्रदेव कुशवाहा पुत्र रामजीत की मुख्य परीक्षा अभियोजन द्वारा नहीं कराई गई है, मुख्य परीक्षा में साक्षीगण से मात्र इतना कहलवाया गया है कि आज से पूर्व उसने न्यायालय में जो बयान दिया है वही उसका बयान है उस बयान में उन्होंने घटना में शामिल सभी लोगों का नाम बताया था। पी०डब्लू०-1 लगायत पी०डब्लू0-10 का जो भी पूर्व में मुख्य परीक्षा हुआ था वह न तो प्रार्थी के उपस्थिति में हुआ था और न ही प्रार्थी के अधिवक्ता के उपस्थिति में हुआ था और न तो उक्त बयान के समय प्रार्थी बतौर अभियुक्त विचारण का सामना कर रहा था। अतः पी०डब्लू०-1 लगायत पी०डब्लू0-10 का बयान पूर्व में हुआ मुख्य परीक्षा प्रार्थी जयकेश पासवान के विरूद्ध पठनीय नहीं है। कानून के अनुसार धारा 319 दं०प्र०सं० के तहत प्रार्थी को विचारण हेतु बतौर अभियुक्त तलब करने और आरोप विरचित होने के बाद अभियोजन पक्ष द्वारा पी०डब्लू०-1 लगायत पी०डब्लू0-10 की पुनः मुख्य परीक्षा प्रार्थी या प्रार्थी के अधिवक्ता के उपस्थिति में होना चाहिए था जो अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं किया गया है। प्रस्तुत केस में तथ्य के जितने भी साक्षीगण पी०डब्लू०-1 लगायत पी०डब्लू०-6 हुए हैं उनमें से कोई भी घटना का चश्मदीद साक्षी नहीं है। पी०डब्लू-1 मोतीलाल पासवान ने धारा-319 दं०प्र०सं० के तहत अभियुक्त जयकेश पासवान के तलब होने के बाद न्यायालय में जिरह में दिये गये अपने बयान दिनांकित 17.11.2022 में स्पष्ट कहा है कि "दिनेश

के साथ वह घर से नहीं गया था जब वह घर से घटना स्थल पर गया तो उसका लड़का दिनेश धान के खेत में गोली की चोट खाकर गिरा था वह जिन्दा था उसे ये लोग घायल अवस्था में मेडिकल कालेज ले गये मेडिकल कालेज में डाक्टर ने उसके लड़के को देखते ही मृत घोषित कर दिया।" पी०डब्लू०-1 मोतीलाल ने न्यायालय में दिये गये अपने बयान दिनांकित 02.12.2022 में यह स्पष्ट कहा है कि "उसे अपने लड़के दिनेश की हत्या का शंका मुल्जिमान के अलावा किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं है। उसे पूर्ण विश्वास है कि मुल्जिमान दिनेश को ले गये और वहीं उसकी हत्या किये हैं जब वह मौके पर पहुंचा तो उसका लडका दिनेश चोट खाकर गिरा था।" पी०डब्लू०-1 मोतीलाल पासवान ने अपने बयान दिनांकित 14.12.2022 पेज 5 पर स्पष्ट कहा है कि "मुल्जिमान व उसके लड़के दिनेश से पहले से दोस्ती थी तथा अपने बयान के पेज 6 पर कहा है कि घटना के समय उसकी पत्नी चॉदमती घर पर थी, उसका लड़का अवनीश कुमार भी घटना के समय घर पर ही था। विन्ध्याचल भी घटना के समय घर पर ही था।" गवाह सूर्यभान पुत्र विंध्याचल व सुमन पत्नी मोतीलाल भी घटना के समय घर पर थे। जहाँ चश्मदीद साक्ष्य हो वहाँ मोटिव का होना आवश्यक नहीं है मगर परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में मोटिव का होना आवश्यक है। प्रस्तुत मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और तथ्य के सभी साक्षीगण ने अपने बयान में स्पष्ट कहे हैं कि मृतक व अभियुक्तगण में दोस्ती थी किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं थी और अभियुक्तगण द्वारा मृतक की हत्या क्यों की गई इसके बारे में किसी भी गवाह ने कोई कारण नहीं बताया है। पी०डब्लू०-2 चानमती ने दिनांक 09.01.2023 को अपने बयान के पेज 1 पर स्पष्ट कहा है कि मिश्री के खेत के रखवाली करने के लिए दिनेश (मृतक) मुल्ज्मान के साथ गया था। मिश्री का खेत उसके घर से 2-3 बीघा के दूरी पर है तथा अपने बयान दिनांक 05.01.2023 पेज 2 पर यह कहा है कि जिस समय दिनेश को गोली मारी गई उस समय वह, उसका बेटा अवनीश, पति मोतीचन्द व बेटी सुमन इन चारों लोगों ने घटना आँखों से देखा था जबकि पी०डब्लू-1 मोतीचन्द्र, पी०डब्लू०-6 सुमन, पी०डब्लू०-3 अवनीश कुमार ने अपने बयान में स्पष्ट कहा है कि उन लोगों ने घटना

अपनी आँख से नहीं देखा था और पी०डब्लू०-3 चानमती ने अपने बयान के पेज 3 पर यह कहा है कि यह कहना सही है कि विंध्याचल यादव घटना के बाद चिल्लाते हुए उसके घर आये और उसके पति का नाम लेकर चिल्लाकर कहे कि तुम्हारे लड़के का भोला के खेत में मर्डर हो गया है। प्रस्तुत केस में पी०डब्लू0-7 निरीक्षक हरेन्द्र मिश्र ने दिनांक 07.08.2025 को अपने बयान के पेज सं०-3 पर स्पष्ट कहा है कि उसने मृतक के पिता मोतीलाल पुत्र बेचन पासी का बयान दिंनाक 02.11.2009 को लिया। उक्त साक्षी के बयान के अनुसार वह घटना का चश्मदीद गवाह नहीं था। उसी दिन उसने अवनीश पासवान पुत्र मोतीलाल पासवान का बयान लिया उक्त साक्षी भी घटना का चश्मदीद गवाह नहीं था। उसने पर्चा नं0-4 दिनांक 12.11.2009 में चानमती पत्नी मोतीलाल पासवान का बयान लिया उक्त चानमती देवी भी घटना की चश्मदीद गवाह नहीं थी उसी दिन उसके द्वारा सुमन पुत्र मोतीलाल पासवान व विन्ध्याचल पुत्र ठगई यादव साकिनान-सुरजपुर, श्राना-रूद्रपुर जनपद देवरिया का बयान लिया गया। उक्त सुमन व विन्ध्याचल यादव भी घटना का चश्मदीद गवाह नहीं थे। पी०डब्लू०-3 अवनीश कुमार पुत्र मोतीलाल ने भी दिनांक 02.08.2023 को अपने बयान के पेज 1 पर स्पष्ट कहा है कि उसे अपने भाई दिनेश पासवान की हत्या की शंका इन मुल्जिमानों के अलावा किसी अन्य पर नहीं है। उसे पूर्ण विश्वास है कि इन्हीं दोनों लोगों ने उसके भाई को मारा था। इस घटना के पहले मुल्जिमान से व उसके भाई से दोस्ती थी, किसी प्रकार की कोई मुकदमेबाजी नहीं थी। घर से उसके भाई दिनेश पासवान खाना खाकर गये थे, रात को साढे नौ बजे खाना खाये थे वह खाना अपने माता पिता के साथ बैठ कर खाये थे। घर से जाने के बाद व हत्या होने के पहले उसका भाई कहाँ-कहाँ गया, किससे-किससे मिला उसे नहीं मालूम। विन्ध्याचल उसके घर घटना की सूचना देने आये थे, कोई और नहीं आया था। विन्ध्याचल के पिता का नाम उसे इस समय मालूम नहीं है जब विन्ध्याचल उसके घर आये उस समय उसके माता-पिता सब लोग घर पर मौजूद थे। घटना स्थल से उसके घर की दूरी 300-400 मीटर की है। सूचना पर पहले उसके पिता व उनके पीछे वह और उसकी माता जी गई। जब वह घटना स्थल पर पहुंचा तब वह अपने भाई दिनेश

पासवान से लिपट कर रोया। पी०डब्लू0-4 विंध्याचल पुत्र बल्ली ने दिनांक 07.07.2025 को अपने बयान के पेज 2 पर स्पष्ट कहा है कि जिस समय घटना हुई उस समय वह अपने घर पर था, घटना की खबर आने पर वह घटना स्थल पर पहुँचा जब वह वहाँ गया तब दिनेश चोट खाकर जमीन पर गिरे पड़े थे, उनका पूरा शरीर खून से लथपथ था। दिनेश के घर के लोग भी बाद में हल्ला होने पर घटना स्थल पर पहुँचे थे। उक्त पी०डब्लू0-4 ने अपने बयान दिनांक 10.07.2025 में स्पष्ट कहा है कि जब दिनेश को उसके घर वाले व पुलिस द्वारा अस्पताल चार पहिया गाड़ी से भेजा जा रहा था उस समय बैजनाथ पासवान व जयकेश भी उपस्थित थे। जब दिनेश अस्पताल चार पहिया गाड़ी से चले गये उसके बाद बैजनाथ व जयकेश अपने घर चले गये और उसके बाद वे दोनों अपने घर पर ही रहे कही बाहर नहीं गये। जब दिनेश की लाश गोरखपुर से वापस घर आई उस समय भी बैजनाथ व जयकेश घर पर ही थे और दिनेश के दाह संस्कार में ये लोग गये थे तथा वह भी गया था। गाँव के काफी लोग भी गये थे। दिनेश का जब ब्रम्हभोज हुआ तो उसमें भी बैजनाथ, जयकेश व अन्य लोग सम्मिलित हुए थे। जो व्यक्ति मृतक दिनेश को गोली मारेगा या उसकी हत्या करेगा वह घटना के बाद घायल / मृतक को पुलिस की उपस्थिति में अस्पताल नहीं भेजवायेगा और घायल / मृतक की लाश अस्पताल से घर आने के बाद मृतक के दाह संस्कार व ब्रम्हभोज में सम्मिलित नहीं होगा, बल्कि फरार हो जायेगा। पी०डब्लू०-5 सूर्यभान पुत्र इन्द्रासन ने दिनांक 06.08.2016 को अपने बयान के पेज 2 पर स्पष्ट कहा है कि 10 बजे रात में घटना के समय वह पेशाब करने के लिए उठा था उसने एक फायर की आवाज सुनी, वह फायर की आवाज सुनकर घटना स्थल पर गया। उक्त बयान से स्पष्ट है कि उक्त गवाह भी घटना का साक्षी नहीं है। उक्त गवाह ने दारोगा को दिये गये अपने बयान धारा 161 सी०आर०पी०सी० को भी इन्कार किया है। पी०डब्लू0-6 सुमन पासवान पुत्री मोतीलाल ने अपने बयान दिनांक 30.07.2025 के पेज 2 पर स्पष्ट कही है कि घटना कब हुई कैसे हुई और कहाँ हुई वह अपने आँख से नहीं देखी थी, शोर हुआ कि उसके भाई दिनेश को गोली लग गई है और वह धान के खेत में गिरा हुआ है। जब

लोग घटनास्थल पर गये तो उसका भाई दिनेश धान के खेत में बेहोश अवस्था में गिरा हुआ था, उन्हें लॉद फाद कर अस्पताल ले जाया गया। दिनेश, जयकेश व बैजनाथ धान की रखवाली करने गये हुए थे तीनों लोग अच्छे दोस्त थे। बचावपक्ष के अधिवक्ता के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस केस की एफ०आई०आर० अभियुक्त बैजनाथ पासवान द्वारा रूद्रपुर में आकर दर्ज कराया गया है, जो व्यक्ति दिनेश की हत्या करेगा या उसे गोली मारेगा वह स्वंय थाने में जाकर एफ०आई०आर० दर्ज नहीं करायेगा। जिस कट्टे से मृतक को गोली लगी है उस कट्टे को भी अभियुक्त बैजनाथ पासवान द्वारा एफ०आई०आर० दर्ज कराते समय थाना रुद्रपुर में ले जाकर जमा किया गया है। अगर अभियुक्त बैजनाथ पासवान द्वारा कट्टे से मृतक दिनेश पासवान को गोली मारा गया होता तो वह कट्टे को ले जाकर ही फेंक देता या उसे गायब कर देता और फरार हो जाता, स्वंय कट्टा ले जाकर थाने में जमा नहीं करता। पी०डब्लू०-4 विंध्याचल ने अपने बयान में स्पष्ट कहा है कि मृतक दिनेश पासवान शराबी था और अभियुक्तगण भी शराबी थे और तीनों खेत की रखवाली करने गये थे। सही बात यह है कि अभियुक्त दिनेश पासवान द्वारा शराब के नशे में लापरवाही वश कट्टा देख रहा था जिसे फायर होने से उसे चोट आई है। प्रार्थीगण द्वारा मृतक को न तो गोली मारा गया है न उसकी हत्या की गई है। प्रस्तुत केस की एफ०आई०आर० भी मृतक दिनेश पासवान के विरूद्ध धारा-286/304ए आई०पी०सी० व 3/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज हुई थी। मृतक के परिवार वालों द्वारा बाद में लालचवश धारा-156(3) सीआर०पी०सी० के माध्यम से प्रार्थीगण के विरूद्ध रपट दर्ज कराया गया था जिसमें पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई और प्रस्तुत केस में अभियुक्त बैजनाथ द्वारा अ०सं०-777/2009 व 778/2009 पर दर्ज कराये गये मुकदमें में अभियुक्त बैजनाथ पासवान के विरूद्ध फर्जी आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। पूरी पत्रावली में प्रार्थीगण के विरूद्ध शून्य साक्ष्य है तथा प्रार्थीगण का आचरण प्रार्थीगण की निर्दोषिता का प्रमाण है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तुत मामले में घटना की सूचना सर्वप्रथम इस मामले के अभियुक्त बैजनाथ पासवान द्वारा ही दी गयी है और उसी

की सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा धारा-**304** ए भा.दं.सं. व **3/25** आयुध अधिनियम के अन्तर्गत मामला दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है किन्तु मृतक के परिवार वालों के दबाव में आकर मामले के प्रथम सूचनाकर्ता बैजनाथ पासवान को ही अभियुक्त बना कर त्रुटिपूर्ण विवेचना के आधार पर उसके विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किया गया है और साथ ही साथ अभियुक्त जयकेश पासवान के विरुद्ध कोई भी साक्ष्य न होते हुए भी उसके विरुद्ध संज्ञान ले कर कार्यवाही की जा रही है जबकि अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण की अपराध में कोई भी संलिप्तता संदेह से परे साबित नहीं है। अतः उपरोक्त तर्को के आधार पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को दोषमुक्त करने की याचना की गई है।

18. अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध कराये गए साक्ष्य के विश्लेषण के पूर्व अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गए साक्षीगण के मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपृच्छा का उल्लेख किया जाना न्यायोचित है, जिसका क्रमवार विवरण निम्नवत है:-

19. अभियोजन पक्ष की तरफ से साक्षी **पी.डब्लू.01- मोतीलाल** पुत्र बेचन, उम्र 60 वर्ष, साकिन- सूरजपुर पासी टोला, थाना- रूद्रपुर, जिला- देवरिया को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में मुख्य रूप से इस आशय का कथन किया है कि घटना दिनांक 30.10.2009 की रात लगभग दस बजे की है। अभियुक्तगण जयकेश व बैजनाथ जो उसके गांव के हैं, उसके लड़के दिनेश को धान की रखवाली हेतु लगभग नौ बजे रात बुलाने आये। परन्तु उसका लड़का दिनेश जाने से इंकार किया। वैजनाथ ने पुरानी बात भुलाने के लिए एवं साथ चलने के लिए कहा तो लड़का तैयार हो गया। लड़का रात दस बजे वैजनाथ के पास रेहन वाले खेत में गया। उसे कुछ शंका हुई तो वह भी पीछे-पीछे वैजनाथ की तरफ विन्ध्याचल यादव के घोठा पर गया तो गोली की आवाज सुनायी दी। वह वहाँ से वैजनाथ के खेत की तरफ दौड़ा, जो विन्ध्याचल के घोठे से पचास कदम पूरव था। वहाँ जाकर देखा तो उसका लड़का घायल गिरा पड़ा था तथा गोली कनपटी पर लगी थी। वैजनाथ के हाथ में रिवाल्वर थी। जयकेश ने मारने में उसका सहयोग किया था तथा

उसने ललकारा था। तब तक काफी लोग जुट गए। वह (साक्षी) उसे लेकर मेडिकल कॉलेज गोरखपुर गया। लड़के को मेडिकल कॉलेज में अन्दर ले गए। डॉक्टर ने चेक किया, उसी दौरान उसकी मौत हो गई। पंचनामा तुरन्त मेडिकल कॉलेज में हुआ। पोस्टमार्टम दूसरे दिन हुआ था। पंचनामा मृतक दिनेश कुमार पत्रावली में शामिल कागज संख्या 10क/1 को देखकर इस साक्षी ने उस पर बने अपने हस्ताक्षर की पहचान की, जिस पर प्रदर्श क-01 डाला गया। लाश को शील कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के पश्चात लाश मिलने पर लाश घर लाकर दाह संस्कार किया। तीन-चार दिन बाद थाने पर गया क्योंकि लड़के की मृत्यु से दिमागी हालत ठीक नहीं थी। थाने पर जाकर घटना की सूचना दी, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। देवरिया में आकर उसने दरखास्त टाईप करायी तथा उस पर हस्ताक्षर करके पुलिस अधीक्षक देवरिया को रजिस्ट्री कर दिया। उसने कागज संख्या- 13क प्रार्थना-पत्र पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की, जिस पर प्रदर्श क-02 डाला गया। इसकी रजिस्ट्री रसीद पत्रावली में मूल रूप से कागज संख्या- 12 क के रूप में है। कार्यवाही न होने पर न्यायालय में धारा- 156(3) दं.प्र.सं. के अंतर्गत प्रार्थना-पत्र दिया, जो पत्रावली में 11क/1 व 11क/2 के रूप में दाखिल है, जिस पर साक्षी ने हस्ताक्षर की पहचान की, जिस पर प्रदर्श क-03 डाला गया। न्यायालय से आदेश होने पर अभियुक्तगण द्वारा निगरानी दाखिल हुई। उक्त निगरानी खारिज होने के बाद थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ। दरोगा ने पूछ-ताछ नहीं किया था। मुल्जिम के प्रभाव में आकर अन्तिम रिपोर्ट दाखिल कर दिया। उसके खिलाफ उसने प्रार्थना-पत्र न्यायालय में दिया। तब मुल्जिमान न्यायालय द्वारा तलब हुए।

19 ख. बचाव-पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से जिरह/प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी का कथन है कि कचहरी में दरखास्त किसी व्यक्ति से लिखाया था, नाम नहीं पता। रूद्रपुर में उसकी कोई सुनवायी नहीं हुई तब वह देवरिया में दरखास्त को टाईप कराया। वह रूद्रपुर तहसील में दरखास्त टाईप नहीं कराया और उसकी वजह नहीं बता सकता। इस घटना के बारे में थाने पर दरखास्त दिया था परन्तु सुनवायी नहीं हुई थी। थाने पर जो दरखास्त वह लेकर गया था वह आज उसके

पास नहीं है। जहाँ पर उसके लड़के को गोली मारी, वहाँ से वह वैन से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज लेकर गए। उसके साथ कौन कौन आदमी और थे नाम याद नही है। वह मेडिकल कालेज 11:30 बजे रात में पहुँचा था। उसी रात में डाक्टर साहब ने बताया कि उसकी मृत्यु हो गयी है। पंचायतनामा के समय वह वहीं पर मौजूद था। पंचायतनामा के समय दरोगा जी ने उससे व जो लोग उपस्थित थे उनसे नाम पता पूछा था तथा मृत्यु का कारण भी पूछा था। मेडिकल कालेज में पंचायतनामा कराने के पश्चात दरोगा जी ने पढ़कर सुनाया था तो उसने हस्ताक्षर बनाया था। घटनास्थल से मेडिकल कालेज जाने में पौन घण्टे का समय लगा था। उसे विद्यांचल ने बताया था कि बैजनाथ ने गोली मार दिया है। वह पंचायतनामा के समय नही बताया था कि गोली किसने मारा था। पंचायतनामा हो ही रहा था उसने उस घटना के सिलसिले में कोई दरखास्त दरोगा जी को नही दिया था। उसके घर से घटनास्थल चार सौ कदम की दूरी पर है। जहाँ पर गोली मारी गयी वहाँ पश्चिम तरफ बाग है फिर कहा कि खेती है। पूरब तरफ किसका खेत है, नही मालूम है। दक्षिण तरफ किसका खेत है नही मालूम। वहाँ दूसरे लोगों की खेती है बैजनाथ के मकान से सटे उसकी जमीन है जिसे ---- उस समय कौन सी फसल बोई गयी थी याद नही है उसका लड़का दिनेश रखवाली हेतु गया था तो उसने मना किया था कि रखवाली हेतु मत जाओ। उसके मना करने के बाद भी उसका लड़का बैजनाथ के साथ चला गया। उस समय उसके गांव का कोई आदमी वहाँ नहीं था। वहाँ पर बैजनाथ का कोई खेत नही है। वह मिश्री का खेत रेहन पर किया था पहले से विवाद था, वह पीछे पीछे गया था। अभी जब विध्यांचल यादव के घोठे पर पहुँचने वाला था तो गोली की आवाज सुनायी पड़ी। घटनास्थल से बीस-पच्चीस कदम था तब गोली की आवाज सुनायी दी। याद नही है कि उसे इस बात की शंका हुई तो वह भी पीछे पीछे बैजनाथ के खेत की तरफ विध्यांचल यादव के घोठे पर गया तो गोली की आवाज सुनायी दिया। यह बात उसने प्रदर्श क-02 व प्रदर्श क-03 में लिखवाया था, याद नही है। गवाह को प्रदर्श क-02 व प्रदर्श क-03 पढ़कर सुनाया गया तो बताया कि यदि इसमें नही लिखा है तो इसकी वजह वह नही बता सकता है।

बैजनाथ मुल्जिमान को जहाँ उसका लड़का गिरा था वहाँ से दो कदम की दूरी पर दक्षिण तरफ खड़ा था। गोली की आवाज सुनकर उसने शोर किया तो विध्यांचल व उसका परिवार शोर करते आ गये। जिस समय वह देखा उस समय बैजनाथ के हाथ में रिवाल्वर था। रिवाल्वर एक बलिष्ट की थी। वे लोग बैजनाथ को नहीं पकड़े। गांव के प्रधान वगैरह ने पकड़ा। वह नहीं बता सकता कि रिवाल्वर हाथ में लेने वाली बातें प्रदर्श क-2 व प्रदर्श क-3 में लिखा है अथवा नहीं। प्रदर्श क-2 व क-3 पढ़कर सुनाया गया। साक्षी ने बताया कि यदि उपरोक्त बातें नहीं लिखी है तो उसका वजह नहीं बता सकता। घटनास्थल व उसके घर के बीच की दूरी आधा किलोमीटर से कम है। उसके घर पर घटनास्थल से गोली चले तो सुनाई नहीं देगा। इसलिये दिनेश के पीछे-पीछे विन्ध्याचल के घोठे पर जाने की बात बताई। यह कहना गलत होगा कि उसने कोई घटना नहीं देखा और आज झूठी गवाही दे रहा है। यह उसे नहीं मालूम है कि तफ्तीश के आदेश के विरूद्ध सरकारी वकील ने निगरानी किया था। यह भी कहना गलत है कि वह बैजनाथ के खेत पर था और न ही विन्ध्याचल के घोठे पर अपने परिवार के साथ पहुँचा था। यह भी कहना गलत है कि वह सिखाने पर झूठा बयान दे रहा है।

इस साक्षी ने अपनी अग्रिम प्रति परीक्षा दिनांकित 17.11.2022 में मुख्य रूप से यह स्पष्ट कथन किया है कि पूर्व में वह न्यायालय में दिनांक 27.07.2015 को अपना बयान अंकित कराया था। जो बयान वह दिनांक 27.07.2015 को दिया है वह उसका बयान सही है। उस बयान में उसने घटना में शामिल सभी लोगों का नाम बताया था एवं उसने अपना पूरा बयान अंकित कराया है। उसका बयान आज भी वही है।

19 ग. बचाव-पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से जिरह/ प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी का कथन है कि यह घटना कब की है वह नहीं बता सकता। उसके लड़के का नाम दिनेश था। दिनेश के साथ वह घर से कहीं नहीं गया था। जब वह घर से घटनास्थल पर गया तो उसका लड़का दिनेश धान के खेत में गोली की चोट खाकर गिरा था। वह जिन्दा था। उसे वे लोग घायल अवस्था में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ले

गये। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ने उसके लड़के को देखते ही मृत घोषित कर दिया।

इस साक्षी ने अपनी अग्रिम प्रति परीक्षा दिनांकित 02.12.2022 में मुख्य रूप से यह स्पष्ट कथन किया है कि उसके व मुल्जिमान के घर के बीच घटना के पूर्व कोई मुकदमेबाजी की रंजिश नहीं थी। इस घटना के पूर्व उसके लड़के दिनेश व मुल्जिमान से बात-चीत होती थी। घर से जाते समय उसे व उसके घर के लोगों को यह आशंका नहीं थी कि मुल्जिमान द्वारा उसके लड़के की हत्या कर दी जायेगी। अगर उन लोगों को यह शंका होती कि मुल्जिमान द्वारा दिनेश की हत्या कर दी जायेगी तो वे लोग मुल्जिमान के साथ दिनेश को जाने नहीं दिये होते। उसे अपने लड़के दिनेश की हत्या की शंका मुल्जिमान के अलावा अन्य किसी व्यक्ति पर नहीं है। उसे पूर्ण विश्वास है कि मुल्जिमान दिनेश को ले गये और वहीं उसकी हत्या किये। जब वह मौके पर पहुँचा तो उसका लड़का दिनेश चोट खाकर गिरा था और मुल्जिमान भी वहीं पर थे, खेत के बगल वाले बागीचे में मुल्जिमान थे। वहाँ पहुँचने के बाद उन लोगों ने मुल्जिमान को मारा-पीटा नहीं कि उसके लड़के की हत्या क्यों किये हैं। घटनास्थल पर लगभग सौ लोग पहुँच गये थे। घटनास्थल पर पहुँचने के बाद वहाँ उपस्थित लोग मुल्जिमानों को पकड़कर थाने ले गये कि नहीं, वह नहीं बता सकता। वह अपने लड़के को लेकर अस्पताल चला गया। वह घटनास्थल पर उपस्थित लोगों से यह नहीं कहा कि मुल्जिमानों को पकड़कर थाने ले जाईये। जिस हथियार से दिनेश घायल हुआ था उस हथियार को उसने थाने नहीं भिजवाया। मौके पर उपस्थित लोगों से भी उसने नहीं कहा कि हथियार रख लीजिए या थाने भिजवा दीजिए। इसी से दिनेश की हत्या हुई है। मौके से घायल को मारुती वैन से वे लोग लेकर अस्पताल गये। वे लोग गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ले गये। वे लोग इन्दूपुर गौरीबाजार होते हुए गोरखपुर गये। उसके साथ उसकी पत्नी चानमती, गवाह विन्ध्याचल गोरखपुर मेडिकल कॉलेज नहीं गये, उसका लड़का अवनीश कुमार तथा लड़की सुमन व गवाह सूर्यभान पुत्र इन्द्रासन भी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज नहीं गये थे। उसने उपरोक्त लोगों से यह नहीं कहा कि थाना रुद्रपुर जाकर घटना की सूचना दे दो और रपट दर्ज

कराओ। जिस गाड़ी से वे लोग दिनेश को गोरखपुर ले गये उस गाड़ी में भी दिनेश के चोट से रक्तस्राव होकर गिरा था। गोरखपुर में उसके डॉक्टर ने उसके लड़के को देखते ही कहा कि वह मर चुका है। गोरखपुर पहुँचने के पहले ही उसके लड़के की मौत हुई थी, किस स्थान पर हुई थी, वे लोग जान नहीं पाये। लाश के साथ घटनास्थल से कोई पुलिस वाला नहीं गया था। गोरखपुर में डॉक्टर ने दिनेश की लाश को कब्जे में ले लिया और वहीं पर दिनेश का पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम हुआ। दिनेश के लाश के पंचायतनामा के समय में उपस्थित था और पंच गवाह बना। श्यामा पुत्र चन्दन, रामआशीष पुत्र अर्जुन जो माड़ाकोडर थाना-रुद्रपुर, जनपद देवरिया के रहने वाले है तथा उमाशंकर पुत्र पुर्णवासी, सा०-रायगंज, थाना खोराबाग, जिला गोरखपुर उपस्थित थे। विन्ध्याचल पुत्र बल्ली भी उपस्थित थे। उन सभी लोगों को दरोगा ने पंचगवाह बनाया और दिनेश का पंचायतनामा तैयार करने के बाद पढ़कर सुनाकर सभी लोगों का हस्ताक्षर बनवाया। उन सभी लोगों ने पंचायतनामा करने वाले दरोगा को बता दिया था कि मृतक दिनेश की हत्या मुल्जिमानों द्वारा की गयी है। यदि पंचायतनामा करने वाले दरोगा ने उन लोगों के बयान में यह नहीं लिखा है कि मुल्जिम बैजनाथ व जयकेश द्वारा दिनेश मृतक की गोली मारकर हत्या की गयी है तो वह इसका कोई कारण नहीं बता सकता। उन सभी पंचों ने पंचायतनामा करने वाले दरोगा से यह नहीं बताया था कि मृतक घर से खाना खाकर धान के खलिहान में गाँव से बाहर सो रहा था कि व्यक्ति ने कट्टे से गोली मारकर घायल कर दिया। पंचायतनामा करने वाले दरोगा ने उन लोगों के बयान में उक्त बात कैसे लिखा वह नहीं बता सकता। वह गोरखपुर से मृतक दिनेश को लेकर देवरिया आया। पोस्टमार्टम करा कर अपने घर लेकर आया और दाह संस्कार हुआ। उसने पुत्र दिनेश का दाह संस्कार 01.11.2009 को किया। घर आने के बाद उसे यह जानकारी हुई कि उसके पत्नी, बच्चे या किसी व्यक्ति ने मृतक दिनेश की हत्या के बावत थाना रुद्रपुर में एफ.आई.आर दर्ज नहीं कराया है। दाह संस्कार दिनांक 01.11.2009 को उसने भी थाना रुद्रपुर में घटना के बावत एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कराया। वह 02.11.2009 को थाना रुद्रपुर एफ.आई.आर. दर्ज कराने गया मगर कोई

सुनवाई नहीं हुई। वह 02.11.2009 के बाद कभी भी थाना रुद्रपुर एफ.आई.आर. दर्ज कराने नहीं गया। अगर यह कहा जाय कि 02.11.2009 को थाना रुद्रपुर घटना के बावत एफ.आई.आर. दर्ज कराने नहीं गया था तो यह गलत होगा। 02.11.2009 के बाद वह सीधे देवरिया कचहरी न्यायालय में आया और न्यायालय में धारा-156(3) दं.प्र.सं. के तहत दरखास्त देकर मुकदमा दर्ज करवाया।

इस साक्षी ने अपनी अग्रिम प्रति परीक्षा दिनांकित 14.12.2022 में स्पष्ट रुप से यह कथन किया है कि जब उसने 156(3) दं.प्र.सं. के तहत न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया उस समय तक उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि बैजनाथ पासवान पुत्र सागर पासवान निवासी पासी टोला सूरजपुर थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया ने इस घटना व दिनेश पासवान के मृत्यु के बावत थाना रुद्रपुर में एफ.आई.आर. दर्ज कराया था। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि घटना के दिन रात में घटना के समय उसके पुत्र दिनेश पासवान ने खेल-खेल में अपने हाथ में लिये असलहे से अपने ऊपर फायर कर लिया था। उसे आज तक इस बात की जानकारी नहीं है कि घटना के समय जिस रिवाल्वर से दिनेश पासवान को चोट आयी थी उसे अभियुक्त बैजनाथ पासवान पुत्र सागर पासवान द्वारा थाना रुद्रपुर में लेजाकर जमा कर दिया गया था और एफ.आई.आर. दर्ज कराया था। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि उसने मुल्जिमान के विरुद्ध जो एफ.आई.आर. दर्ज कराया था उसमें पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दिया था। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि जो मुकदमा बैजनाथ ने दर्ज कराया था या जो एफ.आई.आऱ उसने दर्ज कराया था यह मुकदमा दोनों में से किस एफ.आई.आर. पर चल रहा है। दरोगा जी ने इस मुकदमें के सम्बन्ध में कभी भी उससे कोई पूछताछ नहीं किया था। अगर दरोगा जी उसका कोई बयान लिखे है तो वह फर्जी लिखे है। दरोगा जी ने जो फाइनल रिपोर्ट लगाया था उसके खिलाफ उसने कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराया था। मुल्जिमान व उसके लड़के दिनेश से पहले से दोस्ती थी। इस घटना से पहले उसने कभी भी मुल्जिमान के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया था। जो दरागा इस मुकदमे की विवेचना किये थे उनका नाम

नहीं जातना है। चूंकि वह नाम नहीं जानता था इसलिए उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं किया। दरोगा जी कभी भी उसे मौके पर नहीं ले गये थे न ही खून आलूदा मिट्‌टी व सादी मिट्‌टी ही बरामद किये थे। घटना के समय उसकी पत्नी चाँदमती घर पर ही थी। उसका लड़का अवनीश कुमार भी घटना के समय घर पर ही था। गवाह विन्ध्याचल भी घटना के समय घर पर ही था। गवाह सूर्यभान पुत्र विन्ध्याचल व सुमन पत्नी मोतीलाल भी घटना के समय अपने घर पर थे। जब वह अपने लड़के दिनेश को गोरखपुर ले जा रहा था तो उपरोक्त सारे लोग चारपहिया वैन के पास उपस्थित थे। उपरोक्त लोगों में से किसी को उसने एफ.आई.आर. दर्ज कराने थाने पर नहीं भेजा। बैजनाथ ने उसके लड़के को गोरखपुर भेजवाने में कोई मदद नहीं किया था। उस समय उसने गवाहान से नहीं कहा था कि बैजनाथ को पकड़कर थाने ले जाइए। घटना के बाद वह कभी भी बैजनाथ के घर नहीं गया। घटना के बाद मुल्जिमान से उसकी देखा-देखी होती थी। घटना वाला खेत मिश्री की थी उसको बैजनाथ ने रेहन पर लिया था। उस समय खेत में धान बोया गया था और वहीं पर पुआल रखा था उसका लड़का व मुल्जिमान धान की रखवाली करने गये थे। उसका लड़का दिनेश कभी भी शराब नहीं पीता था। यह कहना गलत है कि उसका लड़का दिनेश शराब पीने का आदि था। यह भी कहना गलत है कि उसके लड़के दिनेश की मृत्यु खेत की रखवाली करते समय शराब के नशे में खेल-खेल में दिनेश की लापरवाही के कारण दिनेश द्वारा अपने कनपटी पर फायर करने से चोट आने से हुई थी। यह भी कहना गलत है कि अभियुक्त बैजनाथ पासवान ने घटना की सूचना उसके घर दिया था और दिनेश को अस्पताल भेजवाने में मदद किया था। यह भी कहना गलत है कि अभियुक्त बैजनाथ पासवान ने घटना की सूचना थाना रुद्रपुर में दिया था और मुकदमा लिखवाया था। यह भी कहना गलत है कि अभियुक्त बैजनाथ पासवान ने जिस रिवाल्वर से दिनेश को चोट आयी थी उसे रुद्रपुर थाने में लेजाकर जमा किया था। यह भी कहना गलत है कि वह अभियुक्त बैजनाथ पासवान व जयकेश के विरुद्ध जो भी बयान दिया है वह संदेह के आधार पर झूठा बयान दिया है। यह भी कहना गलत है कि बैजनाथ द्वारा लिखवाये गये मुकदमे की जानकारी होने के बाद भी

उसने अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा-156(3) दं.प्र.सं. के तहत फर्जी मुकदमा दर्ज कराया इसलिए पुलिस ने उसमे फाइनल रिपोर्ट लगाया था।

20. अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षी **पी.डब्लू.02-चानमती** पत्नी मोतीलाल, उम्र 50 वर्ष, साकिन- सूरजपुर पासी टोला, थाना- रुद्रपुर, जिला- देवरिया, को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में मुख्यतः यह कथन किया है कि उसके लड़के की हत्या हुए लगभग 06 साल हो गया। रात के 10.00 बजे का समय था। बैजनाथ व जयकेश उसके घर 10.00 बजे रात को आये व उसके लड़के दिनेश को धान की रखवाली के लिये बुलाकर ले गये। वह लड़के को उन लोगों के साथ जाने नहीं दे रही थी क्योंकि उपरोक्त बैजनाथ व जयकेश दो दिन पूर्व उसके लड़के दिनेश से झगड़ा किये थे। बैजनाथ व जयकेश के घर के सामने उसकी मड़ई व जमीन है जिसे हटाने के लिए व जमीन को जबसदस्ती बैजनाथ व जयकेश से लेना चाहते थे। यह झगड़ा उसके लड़के की हत्या के लगभग डेढ़ माह पूर्व हुआ था। बैजनाथ ने कहा कि चाची पुरानी बात भूल जाइये तथा दिनेश को जाने दिजिये। फिर भी उसका लड़का इतने कहने के बावजूद उन लोगों के साथ चला गया, परन्तु उसे डर बना रहा। बैजनाथ व जयकेश मिश्री का खेत बटाई पर लिये थे, जो उसके घर के पश्चिम तरफ 400 कदम की दूरी पर है। वहाँ धान पीटकर, खेत में रखा हुआ था। उसी की रखवाली हेतु उसके लड़के को लेकर गये थे। उसने अपने पति से कहा कि जाकर देखिये क्योंकि उसे शंका हो रही है। अपने पति के जाने के बीस मिनट बाद वे और उसका लड़का अवनीश खेत की तरफ गये तो देखा उसके लड़के को गोली लगी थी। वहीं पर बैजनाथ व जयकेश बगल में कट्टा लेकर खडे थे। उसके लड़के दिनेश ने बताया कि जयकेश के ललकारने पर बैजनाथ ने गोली मारा। उसके बाद प्रधान व पुलिस वाले आ गये। पुलिस बैजनाथ व जयकेश को लेकर गई थी। वे लोग लड़के को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ले गये वहीं पर रात के 2.00 बजे उसके लड़के दिनेश की मृत्यु हो गई।

20क. बचाव-पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से जिरह/प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी का कथन है कि उसके घर से बैजनाथ का घर सटे दक्षिण है। जयकेश का घर, बैजनाथ के घर के एक घर बाद

दक्षिण तरफ है। बैजनाथ के घर के सामने उसकी जमीन है जिस पर पहले उसका खपरैल का मकान था, जो गिर गया। उसने दूसरी जगह मकान बना लिया। बैजनाथ के घर के सामने उसकी मड़ई है। उसने पक्का मकान तीन-चार साल दूसरे जगह बनाया है। बैजनाथ के घर के सामने की जमीन के बावत उसने कोई मुकदमा नहीं किया है और न ही कोई मुकदमा चला। उक्त जमीन को बैजनाथ मांगते थे। परन्तु उसने नहीं दिया, उस जमीन के लिए कोई मार-पीट नहीं हुआ था। बैजनाथ उसके घर बराबर आते जाते थे। घटना के पूर्व उसका लड़का व बैजनाथ मिले थे। बैजनाथ जब उसके लड़के को लेने आये तो कान में कुछ कहा था और दिनेश को लेकर चले गये। उसने अपने लड़के दिनेश को साथ जाने से मना किया परन्तु वह फिर भी चला गया। दरोगा जी ने उपरोक्त बात नहीं पूछा था इसलिए नहीं बताया था। उसका लड़का खाना खाकर बैजनाथ के साथ गया था। यह कहना गलत है कि उसके व बैजनाथ के मध्य जमीन का विवाद न रहा हो। घटना की रात 12-01 बजे के मध्य विन्ध्याचल यादव उसके घर आये थे या नहीं उसे नहीं पता। वह रात में 12-01 बजे के बीच घर पर थी।

इस साक्षी ने अपनी अग्रिम प्रति परीक्षा दिनांकित 07.09.2015 को मुख्य रुप से यह स्पष्ट कथन किया है कि उसके पति, पुत्र की हत्या के बाद विदेश में रहते है। मृतक दिनेश विकलांग था। विन्ध्याचल यादव घटना की रात उसके घर आये थे या नहीं, उसे नहीं पता। घटनास्थल पर गवाह विन्ध्याचल भी याये थे। उसे नहीं पता कि रात में करीब 12-01 बजे के बीच विन्ध्याचल यादव चिल्लाते हुए आये और पति का नाम लेकर कहा कि चलो, तुम्हारे लड़के का भोला के खेत में कत्ल हो गया। दरोगा जी ने उससे पूछ-ताछ नहीं किया। उसने दरोगा जी को कोई बयान नहीं दिया था। उसने दरोगा जी को यह नहीं बताया था कि रात के करीब 12-01 बजे के बीच खेत में मर्डर हो गया है। तुरन्त वे लोग रोते-गाते खेत में पहुंचे। उक्त बयान यदि दरोगा जी ने नहीं लिखा है तो इसकी कोई वजह नहीं बता सकती। जब वह घटनास्थल पर पहुँची तो बैजनाथ व जयकेश कट्टा लेकर खड़े थे। वह घटनास्थल पर लगभग एक घण्टा रही होगी। वहाँ जमीन पर खून देखी थी। उसके

घटनास्थल पर पहुँचने से पूर्व कई लोग वहाँ पहुँच चुके थे। उसके लड़के दिनेश ने बताया कि उसे बैजनाथ ने जयकेश के ललकारने पर मारा। उस समय उसके पति, लड़का अवनीश भी मौजूद थे। उस समय दूसरे टोला बनरहा के लोग मौजूद थे। बैजनाथ द्वारा जयकेश के ललकारने पर मारने वाली बात न्यायालय में पहली बात बताई थी। उपरोक्त बाते अपने अधिवक्ता के सिखाने पर नहीं बताई है। उसका लड़का दिनेश शराब नहीं पीता था। यह कहना गलत है कि जब वह घटनास्थल पर पहुँची तो उसका लड़का दिनेश बोलने की स्थिति में नहीं था। उसके पति, लड़के दिनेश को घटनास्थल से सड़क पर लाये वहाँ से मेडिकल कॉलेज गोरखपुर ले गये। वह लड़के के साथ मेडिकल कॉलेज नहीं गयी थी। उसके पति घटना के दूसरे दिन रात में घर आये। यह कहना गलत है कि वह झूठा बयान दे रही है। यह कहना गलत है कि उसका लड़का विकलांग होने के कारण कोई बात नहीं करता था। यह कहना गलत है कि वे लोग लड़के के खिलाफ रहते थे तथा वह भी इन लोगों के खिलाफ रहता था।

इस साक्षी ने अपनी अग्रिम प्रति परीक्षा दिनांकित 05.01.2023 को मुख्य रुप से यह स्पष्ट कथन किया है कि लगभग साढ़े सात साल पहले उसने न्यायालय में जो बयान दिया था वही बयान आज भी है। उसने घटना से सम्बन्धित पूरी बात अपने पूर्व के बयान में बताया है उस बयान में उसने घटना में शामिल सभी लोगो का नाम बताया था।

20 ख. बचाव-पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से जिरह/ प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी का कथन है कि उसके लड़के का नाम दिनेश था। घटना के दिन जब उसका लड़का खाना खा रहा था तभी मुल्जिमान बुलाने आये वह खाना खाने के बाद उनके साथ चला गया। उसका लड़का उसके सामने ही खाना खाया था। उसका लड़का दिनेश चावल, दाल, रोटी, सब्जी खाया था। खाना खाने के बाद उसका लड़का मुल्जिमान के साथ चला गया। मिश्री के खेत की रखवाली करने के लिए दिनेश मुल्जिमान के साथ गया था। मिश्री का खेत उसके घर से दो-तीन बीघा की दूरी पर है फिर कहा थोड़ा और आगे है उस खेत में घटना के

समय धान बोया गया था वह खेत उसने बटाई पर लिया था। दिनेश को गोली मारते उसने अपनी आँख से देखा था कुल दो गोली उसके आँख के सामने मारे, एक गोली कनपटी पर मारे दूसरी शरीर पर ही मारे कहाँ मारे वह नहीं बता सकती। जिस समय दिनेश को गोली मारी गयी उस समय वह, उसका बेटा अवनीश, पति मोतीचन्द व बेटी सुमन मौजूद थे। इन चारो लोगों ने घटना अपनी आँख से देखा। घटना के बाद ग्राम प्रधान व पुलिस आ गये और दोनों मुल्जिमान बैजनाथ व जयकेश को पुलिस पकड़कर थाने ले गयी। उसने नहीं देखा कि जो कट्टा मुल्जिमान लिये थे वह पुलिस ले गयी या मुल्जिमान ने कहीं फेंक दिया। दरोगा जी ने उनसे यह नहीं कहा कि वे मुल्जिमानों को सजा दिला देंगे। दरोगा जी उसके लड़के को अस्पताल नहीं भेंजवाये थे कौन भेजवाया था वह नहीं बता सकती क्योंकि वह घबरा गयी थी। उस समय उसने दरोगा जी को सारी सच्चाई बता दिया था कुछ छुपाया नहीं था। उसे दरोगा जी थाने नहीं ले गये थे उसके पति को पुलिस को पुलिस थाने नहीं ले गयी थी। उस समय उसके पति कोई दरखास्त लिखकर थाने पर नहीं दिये थे, उसने भी दरखास्त दिया था या नहीं याद नहीं है। वह अपने लड़के के साथ अस्पताल गयी थी, गोरखपुर मेडिकल कालेज लड़के के साथ गयी थी। वह अपने पति मोतीलाल व लड़के अवनीश, दिनेश के साथ मेडिकल कालेज गये और कितने लोग गये वह नहीं बता सकती। उसका लड़का मेडिकल कालेज पहुँचने के बाद रात को मरा था। यह कहना गलत है कि वह घटना देखने वाली बात व गोरखपुर जाने वाली बात सही नहीं बता रही हूँ। उसके पहले भी उसका बयान न्यायालय में हुआ था। दरोगा जी उसका बयान लिये थे, उसकी बात नहीं माने थे। यह कहना गलत है कि वह घटना देखने वाली बात व गोरखपुर मेडिकल जाने वाली बात प्राइवेट वकील के सिखाने पर पहली बार न्यायालय में बता रही है।

इस साक्षी ने अपनी अग्रिम प्रति परीक्षा दिनांकित 11.01.2023 को मुख्य रुप से यह स्पष्ट कथन किया है कि उसके लड़के दिनेश व मुल्जिमान से घटना के पहले से जान-पहचान थी। उस घटना के बाद मुल्जिमान बैजनाथ थाना रुद्रपुर जाकर घटना की रपट लिखवाये थे कि नहीं उसे इसकी जानकारी नहीं है। इस घटना के बाद पुलिस दोनों

मुल्जिमान को पकड़कर थाने ले गयी थी। पुलिस वह हथियार ले गई थी या नहीं उसे नहीं पता। यह कहना गलत है कि घटना के बाद रुद्रपुर पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर थाने नहीं ले गई थी। यह कहना गलत है कि अभियुक्त बैजनाथ थाने में खुद जाकर रपट लिखाये थे और जिस रिवाल्वर से दिनेश को गोली लगी थी उसे भी ले जाकर थाने में जमा किया था।

उसे मुल्जिमान के अलावा किसी अन्य पर दिनेश की हत्या की शंका नहीं है। विन्ध्याचल यादव पुत्र ठगई यादव बनरहाँ टोला सूरजपुर, थाना रूद्रपुर, जिला देवरिया के निवासी है। घटनास्थल के पास ही विन्ध्याचल यादव का घर, घोठा व खेत है। यह कहना सही है कि विन्ध्याचल यादव घटना के बाद चिल्लाते हुए उसके घर आये और उसके पति का नाम लेकर चिल्लाकर कहे कि उसके लड़के का भोला के खेत में मर्डर हो गया है। वह रोते-गाते खेत में पहुँची। उसने दरोगा जी को यह बयान नहीं दिया था कि रोते-गाते खेत में पहुँचे तो देखा कि लड़के के सर के दाहिने कनपटी से काफी खून निकल रहा था, काफी हिलाने-डुलाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ न बोल सका। दरोगा जी ने उसके बयान में उक्त बात कैसे लिखी है, वह इसकी वजह नहीं बता सकती है। उसने दरोगा जी से अपने बयान में यह नहीं कहा था कि बैजनाथ गांव वालों से कह रहा था कि यह रिवाल्वर दिनेश की है, जिसे उसने अपने ऊपर शराब के नशे में चला लिया। दरोगा जी ने उसके बयान में उक्त बात कैसे लिखा है वजह नहीं बता सकती। दरोगा जी उसका कोई बयान नहीं लिये थे, सारा बयान फर्जी लिखे है। यह कहना गलत है कि उसने दरोगा जी को बयान में सही बात बताई थी, जानबूझकर दरोगा जी को दिये गये बयान से इंकार कर अपने सरकारी वकील के सीखाने पर मुकदमें को मजबूती प्रदान करने के लिए पहली बार न्यायालय में स्वयं अपनी आँखों से घटना देखना बता रही है। उसका लड़का दाहिने पैर से विकलांग था। उसके पास खाने-पीने, कमाने का कोई साधन नहीं था, अभी वह पढ़ाई कर रहा था। यह कहना गलत है कि वह घटना के पहले से शराब पीने का आदी था। उसने दरोगा जी को यह नहीं बताया था कि वह शराब पीने का आदी था। वह घटना के बाद कभी भी घटना की सूचना देने दो या तीन दिन के

बाद गये थे। वह आकर उससे बताये कि रपट दर्ज कराने गया, मगर सुनवाई नहीं हुई। वह यह नहीं बता सकती कि उसके बाद रूद्रपुर थाने पर जाकर रपट लिखाने के लिए कोई घटना प्रदर्शन हुआ कि नहीं। उसके लड़के का खून उसके हाथ पर लगा था। दरोगा जी ने वह खून लगा कपड़ा न उससे माँगा, न उसने दिया। जिस जूट के बोरे पर उसके लड़के दिनेश का खून गिरा था, दरोगा जी उसको भी नहीं ले गये। यह कहना गलत है कि दरोगा जी उस खून लगे जूट के बोरे को कब्जे में लेकर गये थे और आज वह जानबूझकर न्यायालय में सही बात नहीं बता रही है।

इस साक्षी ने अपनी अग्रिम प्रति परीक्षा दिनांकित 16.03.2023 को मुख्य रुप से यह स्पष्ट कथन किया है कि घटना के दूसरे दिन दरोगा जी मौके पर आये थे या नहीं, उसे जानकारी नहीं है। नक्शा मौके पर बनाये थे या नहीं, उसे जानकारी नहीं है। उसके सामने कोई नक्शा नहीं बनाये थे। घटना के अगले दिन मौके पर दरोगा जी को या रूद्रपुर पुलिस को उसने नहीं देखा था। हीरा पुत्र साहब अली साकिन छपौली, थाना रूद्रपुर को वह नहीं जानती। सूर्यभान निषाद पुत्र इन्द्रासन निषाद उसके गांव के रहने वाले है। उपरोक्त सूर्यभान निषाद पुत्र इन्द्रासन घटना के समय मौके पर मौजूद थे। उपरोक्त सूर्यभान भी घटना के बारे में उसे बताये थे। उपरोक्त सूर्यभान घटना के अगले दिन भी गांव व घटनास्थल पर मौजूद थे। उसने दरोगा जी से यह नहीं कहा कि उपरोक्त सूर्यभान को घटना का गवाह बना लीजिये। घटना के पहले जयकेश गांव पर रहते थे, वह अरूणाचल प्रदेश नहीं रहते थे। उसने दरोगा जी को यह बयान नहीं दिया था कि जयकेश अरूणाचल प्रदेश में रहता था। घटना के तीन दिन पूर्व आया था। दरोगा जी ने उसके बयान में यह बात कैसे लिखा नहीं बता सकती। उसने दरोगा जी को यह बयान नहीं दिया था कि उसे नहीं मालूम कि उसके लड़के को कौन कैसे मार दिया है। उसने दरोगा जी को यह बयान नहीं दिया था कि शराब पीने का लालच देकर उसके लड़के को अभियुक्त अपने साथ रखता था, दरोगा जी ने उक्त बात कैसे लिखा वह नहीं बता सकती। राजू निषाद उसके गांव में रहते है, इस बात की उसे जानकारी नहीं है और इस बात की भी जानकारी नहीं है कि वह बैजनाथ के मित्र है। उसने दरोगा जी को यह बयान नहीं दिया था

कि घटना के बाद बैजनाथ व जयकेश पासवान भी मौके पर थे। उसने पूछा के कैसे उसके लड़के को मार दिये तो उन्होंने कहा कि उसे नहीं मालूम उपरोक्त बयान दरोगा जी ने कैसे लिख लिया उसे नहीं मालूम, इसकी वजह नहीं बता सकती। यह कहना गलत है कि जिस स्थान पर व जिस तरह घटना होना कह रही है, उस स्थान पर व उस तरह से कोई घटना नहीं हुई। यह भी कहना गलत है कि वह अपने आँख से घटना नहीं देखी थी और न अभियुक्तगण को गोली मारकर दिनेश की हत्या करते वह व उसके परिवार के लोग देखे थे। यह भी कहना गलत है कि मुकदमे को मजबूती प्रदान करने के लिए अपने पूर्व में दिये बयान के विपरीत सिखाने पर वह स्वयं घटना देखने वाली बात बयान में झूठा बतायी है।

21. अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षी **पी.डब्लू.03- अवनीश कुमार** पुत्र मोतीलाल पासवान, उम्र 18 वर्ष, पेशा- शिक्षा, साकिन सूरजपुर पासी टोला, थाना- रुद्रपुर, जिला- देवरिया, को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में मुख्यतः यह कथन किया है कि अभियुक्तगण बैजनाथ व जयकेश उसके ही गाँव के है। घटना दिनांक 30.10.2009 की नौ-दस बजे रात के समय की है। उसके घर पर वह, उसकी मम्मी, भाई दिनेश, अनिरुद्ध गौतम, अरुण व पिताजी मौजूद थे। उसके घर बैजनाथ के साथ जयकेश आये। अभियुक्त बैजनाथ उसके गाँव के मिश्री व उदय का खेत बटाई पर धान बोये थे और धान काटकर पीट दिया गया था उसी की रखवाली के लिए उसके भाई दिनेश को बुलाने के लिए आये थे। उसका भाई दिनेश पहले उन लोगों के साथ जाने को तैयार नहीं था तब उन लोगों ने कहा कि पुरानी बाते भुल जाओ और साथ चलो। इस बात पर उसका भाई जाने के लिए तैयार हो गया एवं चला गया। दिनेश की तलाश करने वह, उसके पिताजी एवं उसकी मम्मी गये। मिश्री व उदय के खेत से ये लोग बीस कदम की दूरी पर थे तभी गोली की आवाज सुनाई दी। खेत पर जाकर देखा तो उसका भाई दिनेश के सिर पर गोली लगी थी, उसकी बात भाई से हुयी। उसके भाई ने बताया कि जयकेश के ललकारने पर बैजनाथ ने गोली मारी है, उस समय रात के करीब 10.00-10.30 बज रहा था। उसने जयकेश व बैजनाथ को थोड़ी

दूरी पर खड़े हुए देखा था। बैजनाथ के हाथ में कट्टा था। उसके घर वालो के अलावा घटना को विन्ध्याचल व सूरजभान ने देखा था। भाई दिनेश को लेकर मेडिकल इलाज कराने के लिए गाँव के दो-चार आदमी ले गये थे। दवा इलाज के दौरान उसी चोट के कारण उसके भाई दिनेश की मृत्यु हो गयी।

21क. बचाव-पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से जिरह/ प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी का कथन है कि वह विकलांग है बिना किसी सहारे के खड़ा नहीं हो सकता। उसका दाहिना पैर विकलांग (पोलियोग्रस्त) है, डण्डे के सहारे चलता है। बिना डण्डे के चल नहीं सकता है। उसके घर से मिश्री लाल का खेत चार सौ कदम की दूरी पर है। वह, उसके पिताजी, माताजी, तीन आदमी एक साथ नहीं पहुँचे थे। पहले वह, एवं मम्मी एक साथ उसके बाद पिताजी पहुँचे थे। इन लोगों के पहुँचने के चार-पाँच मिनट बाद पिताजी घटना स्थल पर पहुँचे थे। उसके पिताजी घटना स्थल पर पश्चिम से आये। ये लोग घटनास्थल पर पूरब से आये। जब ये लोग खेत पर पहुँचे तो वहाँ पर मुल्जिमान के अलावा गाँव के कोई आदमी नहीं थे। वह एवं उसकी माता के पहुँचने पर बैजनाथ वहीं पर खड़ा था। उसने अथवा उसकी माता व पिता ने घटनास्थल पर जयकेश को नहीं पकड़ा था। दिनेश के सिर पर दाहिने कनपटी पर गोली कि चोट लगी थी। खोपड़ी फटी नहीं थी, खून से लथपथ था। उसने अपने भाई से पूछा नहीं था, उसने स्वयं ही बता दिया था कि बैजनाथ ने जयकेश के ललकारने पर कट्टा मार दिया है। घटनास्थल पर केवल खून गिरा था, मांस का टुकड़ा नहीं गिरा था। वह घटनास्थल पर आधा घण्टा तक रुका था। मौके से दिनेश कुमार को चार-पहिया से उसके पिताजी लादकर ले गये थे। वह एवं उसकी माता ने दिनेश को गोद में उठाने का प्रयास नहीं किये थे। पिताजी ने उठाया था। दिनेश का खून उसके पिता व माता के कपड़े पर लगा था। दरोगा जी उससे पूछ-ताछ नहीं किया था। मिश्री व बैजनाथ से कोई रिश्ता नहीं है। घटना के दिन सात बजे शाम को बैजनाथ उसके घर पर आये थे। उस समय बैजनाथ व उसके भाई दिनेश खाना थोड़ी देर पहले खा चुके थे। दरोगा जी ने नहीं पूछा था इसलिए यह बात नहीं बतायी थी कि

"बैजनाथ उसके घर सात बजे दिनेश को लेने आये थे और लेकर चले गए।" उसने यह भी नहीं बताया था कि वह और उसकी माता दिनेश को तलाशने गये थे और घटनास्थल से बीस कदम की दूरी से गोली की आवाज सुने थे। यह भी दरोगा जी को नहीं बताया था कि दिनेश ने स्वंय कहा कि जयकेश ने ललकारा था और बैजनाथ ने गोली मारी थी। उन लोगों ने अपना प्राइवेट वकील रखा है। दिनेश कुमार की शादी नहीं हुई थी। उसके भी दाये पैर व हाथ में पोलियो पड़ा था। वह बिना लाठी के भी चल सकता था। पोलियो पैदाइशी नहीं था। जब वह सम्भलने लायक हुआ तो देखा कि उसका भाई दिनेश कुमार विकलांग है। रुद्रपुर थाने से उसके परिवार वालों की कोई दुश्मनी नहीं थी। यह कहना गलत है कि उसके सामने बैजनाथ को लेकर उसके भाई नहीं गये थे। यह भी कहना गलत होगा कि उसका भाई दिनेश स्वयं इन लोगों से अपनी गोली लगने की बात नहीं बतायी थी। यह भी कहना गलत होगा कि गोली लगने के बाद उसका भाई बताने की स्थिति में नहीं था। यह भी कहना गलत है कि वह मौके पर नहीं गया था। यह भी कहना गलत होगा कि अपने करीबों के सिखाने पर झूठा बयान दे रहा है।

इस साक्षी ने पुनः अपनी अग्रिम मुख्य परीक्षा दिनांकित 02.08.2023 को मुख्य रुप से यह स्पष्ट कथन किया है कि उसने न्यायालय में आज के पूर्व दिनांक 16.10.2015 को जो बयान दिया था उसका वही बयान आज भी है। उस बयन में उसने घटना में शामिल सभी लोगों का नाम बताया था एवं पूरी घटना को वह जानता था, उसको अंकित कराया था। उसका बयान आज भी वही है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से पुनः जिरह/प्रतिपरीक्षा किये जाने पर इस साक्षी का मुख्य रुप से यह स्पष्ट कथन है कि इस केस के मृतक का नाम दिनेश पासवान है, जो उसके सगे भाई थे। जिस तरह वह विकलांग है, उसी तरह वे भी विकलांग थे। उसे अपने भाई दिनेश पासवान की हत्या की शंका उक्त मुल्जिमान के अलावा अन्य किसी पर नहीं है। उसे पूर्ण विश्वास है कि इन्ही दोनों लोगों ने उसके भाई को मारा था। इस घटना के पहले मुल्जिमान से व उसके भाई से दोस्ती थी, किसी प्रकार की कोई मुकदमें बाजी नहीं थी। घटना

के समय उसके भाई दिनेश पासवान मुल्जिमान के साथ खेत की रखवाली करने गये थे। वह खेत मिश्री व उदय प्रताप का था, जिसे बटाईं पर लिया गया था। कितने दिन पहले बटाईं पर लिया गया था, नहीं मालूम है। खेत में उस समय धान की फसल लगी थी, उसी की रखवाली करने गये थे। घर से दिनेश पासवान खाना खाकर गये थे। रात को साढ़े नौ बजे खाना खाये थे। वह खाना उसके व उसके माता-पिता के साथ बैठ कर खाये थे। उसका भाई खाना खा कर खेत की रखवाली के लिए डण्डा व टॉर्च लेकर नहीं गये थे, खाली हाथ गये थे। रात के साढ़े दस बजे दिनेश पासवान की हत्या हुई थी। घर से जाने के बाद व हत्या होने से पहले उसका भाई कहाँ-कहाँ गया, किससे-किससे मिला, उसे नहीं मालूम है। घटनास्थल से डेढ़-दो सौ मीटर की दूरी पर विन्ध्याचल का घोठा है। यही विन्ध्याचल उसके घर घटना की सूचना देने आये थे, कोई और नहीं आया था। विन्ध्याचल के पिता का नाम उसे इस समय मालूम नहीं है। जब विन्ध्याचल उसके घर आये, उस समय उसके माता-पिता व सभी लोग घर पर मौजूद थे। घटनास्थल से उसके घर की दूरी तीन-चार सौ मीटर की है। सूचना पर पहले उसके पिता, उनके पीछे वह, उसकी माता गयी। जब वह घटनास्थल पर पहुँचा तो वह अपने भाई दिनेश पासवान (मृतक) के शरीर से लिपटकर रोया। मृतक दिनेश का खून उसके कपड़ों पर नहीं लगा। उसके पिता के हाथ व कपड़ों पर मृतक दिनेश का खून लगा कि नहीं, उसने नहीं देखा। उसकी माता चानमती के कपड़ो व हाथ पर मृतक दिनेश का खून लगा या नहीं उसने नहीं देखा। उन लोगों के घटनास्थल पर पहुँचने के दो-तीन घण्टे बाद पुलिस मौके पर पहुँची, पुलिस वहाँ पहुँची तो घटनास्थल पर काफी भीड़ हो गयी थी। उसके भाई को पुलिस की गाड़ी से नहीं, बल्कि प्राइवेट गाड़ी से गोरखपुर ले जाया गया, साथ में सिपाही नहीं गये थे। आज सुबह कहा कि पुलिस वाले गांव के दो-चार आदमी से दिनेश को गाड़ी में लदवाये, पुलिस वाले गोरखपुर गये या नहीं वह नहीं बता सकता।

इस साक्षी ने पुनः अपनी अग्रिम प्रति परीक्षा दिनांकित 19.08.2023 को मुख्य रुप से यह स्पष्ट कथन किया है कि घटनास्थल

से उसके भाई दिनेश को अस्पताल ले जाया गया तो वह उनके साथ अस्पताल नहीं गया, गांव के लोग गये थे तथा उसकी माता चन्द्रावती भी दिनेश के साथ गयी थी, उसके पिता मोतीलाल पासवान गये थे, साथ में पुलिस नहीं गयी थी, उसने देखा नहीं था। पुलिस वाले बैजनाथ व जयकेश को उसी समय थाने ले गये, फिर कहा कि रूद्रपुर थाने ले गये, जिस हथियार से दिनेश को मारा गया था, उस हथियार को भी पुलिस घटमास्थल से थाना ले गयी थी, उस दिन वह और उसकी माता जी थाने नहीं गये थे, न ही कोई दरख्वास्त रूद्रपुर थाने पर दिया था, उसके पिताजी अगले दिन थाना रूद्रपुर गये थे। उसके पिताजी गोरखपुर से सुबह गांव पर आये थे, आने के बाद थाना रूद्रपुर गये थे और सब सच्चाई लिखकर एफ.आई.आर. दर्ज करने हेतु थाना रूद्रपुर पर प्रार्थना-पत्र दिये थे। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि इस घटना की सूचना बैजनाथ पासवान पुत्र सागर पासवान ने थाना रूद्रपुर में दिया था, जिसके आधार पर मृतक दिनेश पासवान के विरूद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। अगर यह कहा जाये कि बैजनाथ पासवान पुत्र सागर पासवान ने जिस रिवाल्वर से मृतक दिनेश को चोट आयी थी, उसे थाना रूद्रपुर में ले जाकर जमा किया था और मुकदमा लिखवाया था, तो यह गलत होगा। घटना के अगले दिन जब उसके पिताजी थाना रूद्रपुर में जाकर एफ.आई.आर. दर्ज करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिये और कोई सुनवायी नहीं हुई। उसके बाद घर आने के बाद फिर उसके पिता कभी थाना रूद्रपुर मुकदमा दर्ज कराने नहीं गया। उसने नहीं देखा कि दरोगा जी मौके पर आकर खून अलूदा मिट्टी व सादी मिट्टी ले गये कि नहीं। वह यह भी नहीं देखा कि दरोगा जी खून लगी जूट की बोरी थाने ले गये या नहीं। वशिष्ठ कुमार व केशवलाल उसके ही ग्रामसभा के है। उसे ध्यान नहीं है कि दरोगा जी ने वशिष्ठ कुमार व केशवलाल को फर्द का गवाह बनाकर उन लोगों के सामने जूट की बोरी खून आलूद को कब्जे में लिये थे। घटना के अगले दिन सुबह दरोगा जी ने घटनास्थल पर जाकर मौके का नक्शा बनाया था या नहीं, उसने नहीं देखा, न ही सुना था। दरोगा जी घटना वाली रात को ही बैजनाथ व जयकेश को थाना रूद्रपुर में ले जाकर बन्द कर दिया था, उसके बाद उसने इन दोनों लोगों को गांव पर नहीं देखा था। घटना के

अगले दिन या उसके एक दिन बाद भी नहीं देखा था। दरोगा जी ने उसका बयान लिया था। उसके पिता का बयान उसके बयान लेने के बाद लिखे या पहले, वह नहीं बता सकता। उसने जो बयान दिया था, वह दरोगा जी ने नहीं लिखा था। साक्षी को उसका बयान 161 सी.आर.पी.सी. "कल दिनांक 30.10.2009 को रात में............. स्थिति में नहीं था केवल हू-हू कर रहा था" सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि उसने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया था, कैसे लिख लिया इसकी वजह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि उसने उपरोक्त बयान दरोगा जी को दिया था और आज जानबूझकर अपने 161 सी.आर.पी.सी के बयान से इंकार कर रहा हूँ। उसने दरोगा जी को अपने बयान 161 सी.आर.पी.सी में यह नहीं बताया था कि "दिनांक 30.10.2009 की रात में उसके भाई दिनेश को................ बैजनाथ पासवान से कड़ाई से पूछताछ करिये, वह सब बता देगा कि उसके भाई की हत्या कैसे हुई" दरोगा ने उसके बयान में उपरोक्त बात कैसे लिखी वजह नहीं बता सकता। उसके घटनास्थल पर पहुँचने से पहले विन्ध्याचल उसके घर सूचना देने नहीं आये थे। अगर यह कहा जाये कि विन्ध्याचल उसके घटनास्थल पर पहुँचने से पहले सूचना देने उसके घर आये थे तो यह गलत होगा। अगर यह कहा कि विन्ध्याचल की सूचना पर वह घटनास्थल पर पहुँचा था, तो यह गलत होगा। वे लोग अपने मन से दिनेश को खोजने गये थे। उसके घर में घटना के समय उसके माता-पिता व दिनेश के अलावा अनिरुद्ध, गौतम, अरूण, सुमन व वह भी था। घटना के बाद उसके घर में रोना-पीटना हुआ था, घर में काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गयी थी। घटना के अगले दिन दरोगा जी उसके घर आये थे, घटनास्थल पर उसने उनको नहीं देखा था। लोगों से पूछ-ताछ करने के बाद दरोगा जी चले गये थे। यह कहना गलत है कि जिस प्रकार से घटना वह होना कहता है, उस तरह की कोई घटना नहीं घटी थी। यह भी कहना गलत है कि घटना के समय वह अपने घर पर था। यह भी कहना गलत है कि उसने दरोगा जी को बयान में सही-सही बताया था और घटना के बारे में कोई साक्ष्य नहीं दिया था और दरोगा जी से यह कहा था कि बैजनाथ से कड़ाई से पूछताछ करिये वह सब बता देगा कि उसके भाई की हत्या कैसे हुई है।

यह भी कहना गलत है कि उसने सरकारी वकील के सिखाने पर अपने 161 सी.आर.पी.सी के बयान से इंकार करते हुए न्यायालय में जानबूझकर झूठा बयान दिया है क्योंकि उसके भाई की हत्या अन्धी हत्या है।

22. अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षी **पी.डब्लू.-04 विन्ध्याचल** पुत्र बल्ली, **उम्र 60 वर्ष, पेशा- खेती**, साकिन सूरजपुर पासी टोला, थाना- रुद्रपुर, जिला- देवरिया, को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में मुख्यतः यह कथन किया है कि घटना हुए आज से लगभग 6 साल हो गया। समय 10 बजे रात की है। <u>वह मिश्री के खेत पर पहुँचा तो देखा कि दिनेश कुमार पुत्र मोतीलाल गोली की चोट खाकर पड़ा हुआ था उसने दिनेश से पूछा कि तुमको गोली कैसे लगी है तो दिनेश ने बताया कि जयकेश के ललकारने पर बैजनाथ ने गोली मारा है।</u> घटना स्थल पर जयकेश व बैजनाथ मौजूद थे। बैजनाथ को लाद फाद कर मेडिकल कालेज गोरखपुर ले गये। दिनेश गोरखपुर में दवा इलाज के समय मर गया। दिनेश कुमार पुत्र मोतीलाल के शव का पंचायतनामा उसके सामने पुलिस ने तैयार किया। साक्षी ने पंचायतनामा प्रदर्श क पर बने निशानी की पहचान की। उसके साथ मोतीलाल उमाशंकर, रामआशीष भी थे। दरोगा ने उसका बयान नहीं लिया था।

22 क. बचाव-पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से जिरह/ प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी का कथन है कि वह इस घटना के बाद मोतीलाल के घर नहीं गया था। उसके पहुंचने के पहले घटनास्थल पर कोई नहीं पहुँचा था। उसके पहुँचने के दस मिनट बाद दस से अधिक लोग पहुँचे थे।

इस साक्षी ने पुनः अपनी अग्रिम प्रति परीक्षा दिनांकित 12.04.2016 को मुख्य रुप से यह स्पष्ट कथन किया है कि उसे नहीं मालूम है कि इस घटना के सिलसिले में दरोगा गाँव पर आये थे या नहीं। घटना के संबन्ध में वह पहले पहल बयान इस न्यायालय में दिया है। न्यायालय में बयान देने के पूर्व किसी को बयान नहीं दिया है। जहाँ पर दिनेश की मृत्यु हुयी थी उससे बीस-पच्चीस कदम की दूरी पर पश्चिम तरफ उसका घोठा है। उसी घोठे से वह घटनास्थल पर गया था। उसे कोई जगाकर मौके पर ले गया था। उसे मोतीलाल व उसकी औरत

चानमती बुलाकर ले गये थे। दिनेश मृतक मोतीलाल व चानमती का लड़का है। जब वह घटनास्थल पर पहुँचा तो रात के दस बज रहे थे। उसके बैजनाथ वगैरह बुलाकर घटनास्थल पर नहीं ले गये थे। दिनेश के चोटिल हालत में जब वह दस बजे रात में मौके पर पहुँचा उसके दस पन्द्रह मिनट बाद ही वह व मोतीलाल वगैरह दिनेश को लेकर गोरखपुर मेडिकल कालेज चले गये। उसने दरोगा को यह बयान नहीं दिया था कि "करीब बारह-एक बजे रात में उसके गाँव के.......................और जाकर कहे कि भोला उर्फ दिनेश पासवान की सागर पासवान के खेत में हत्या हो गयी है।" यदि यह बात उसके बयान में लिखा है तो इसकी वजह नहीं बता सकता। वह दरोगा को यह भी बयान नहीं दिया था कि "मौके पर सूर्यभान, बैजनाथ व जयकेश को वहीं मौके पर छोड़कर तुरन्त मोतीलाल के घर पर पहुँचा वहाँ की स्थिति बताया सभी लोग मौके पर पहुँचे।" ऐसा बयान उसने दरोगा को नहीं दिया था। यह बयान कैसे लिखा गया है वजह नहीं बता सकता। वह जब घटनास्थल पर पहुँचा तो वहाँ पर गाँव के प्रधान व काफी गाँव के लोग पुहँच गये थे। वहाँ पर जब वह पहुँचा तो दिनेश गिरा था। घटनास्थल पर खून काफी गिरा था जब वह वहाँ पहुँचा और दस मिनट बाद चारपाई पर लाकर मोतीलाल अपने घर लेकर चले गए और वहाँ से चार पहिया लेकर गोरखपुर चले गए। चारपाई मोतीलाल उसके यहाँ से लेकर गये थे। चारपाई पर खून गिरा था। वह चारपाई दरोगा ने नहीं देखा था। गोरखपुर बोलेरो से ये लोग दिनेश को लेकर गये थे। गाँव से गोरखपुर दो घण्टे में पहुँच गये। गोरखपुर मेडिकल कालेज में दिनेश भर्ती हो गया था। दवा-इलाज हुआ और पन्द्रह मिनट बाद वह मर गया। घटनास्थल पर तीस पैतीस लोग पहुँचे थे। वहाँ पर बैजनाथ भी मौजूद था। बैजनाथ को मोतीलाल पकड़कर थाने पर ले गये थे। वहीं मोतीलाल जो दिनेश के पिता है। उसने दरोगा को यह बयान नहीं दिया था कि दिनेश से पूछा कि तुमको गोली कैसे लगी है तो दिनेश ने बताया कि जयकेश के ललकारने पर बैजनाथ ने गोली मारा है। यह कहना गलत है कि उसने अपने प्राइवेट वकील के समझाने पर उपरोक्त बयान दिया है। यह भी कहना गलत है कि दिनेश को गोली लगने के बाद बोलने की

स्थिति नहीं थी। यह कहना गलत है कि वह मोतीलाल का मेली मददगार होने के नाते उनके पक्ष में झूठी गवाही दे रहा है।

इस साक्षी ने पुनः अपनी अग्रिम मुख्य परीक्षा दिनांकित 07.07.2025 को मुख्य रुप से यह स्पष्ट कथन किया है कि आज के पूर्व दिनांक 12.02.2016 को उसने न्यायालय में बयान दिया था। उस समय उसने जो बयान दिया था वही बयान उसका आज भी है। उस बयान में उसने सारी बात बतायी थी। जो वह देखा था वह उसने बताया था। पंचायतनामा की कार्यवाही उसके सामने हुई थी जिस पर उसका हस्ताक्षर भी हुआ था।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी ने मुख्य रुप से इस आशय का स्पष्ट कथन किया है कि यह घटना 10:00 बजे रात की है। उसके घर दस परग पर यह घटना हुई। जिस समय घटना हुई उस समय वह अपने घर पर था। घटना की खबर आने पर वह घटनास्थल पर पहुँचा। जब वह वहाँ गया तो दिनेश चोट खाकर ज़मीन पर गिरे हुए थे उनका पूरा शरीर खून से लतपथ था। दिनेश के घर के लोग भी बाद में हल्ला होने पर घटनास्थल पर पहुँचे थे। दिनेश को लाद-फांद कर अस्पताल ले जाया गया था। चार पहिया गाड़ी से दिनेश को लेकर गए थे। चोट लगने के कारण दिनेश घटनास्थल पर बेहोश अवस्था में पड़े हुए थे। उसके बाद उन्हें उसी अवस्था में अस्पताल ले जाया गया उसके बाद वे जिन्दा नहीं लौटे थे। घटनास्थल पर बहुत ज्यादा भीड़ हो गयी थी। थाना रुद्रपुर की पुलिस, दरोगा भी प्रधान के फोन करने पर घटनास्थल पर पहुँच गए थे। प्रधान भी घटनास्थल पर उपस्थित थे। थानाध्यक्ष रुद्रपुर कहे कि तत्काल दिनेश को अस्पताल ले जाओ और इसकी जान बचाओ। दिनेश के साथ दरोगा सिपाही भी घटनास्थल से अस्पताल गए थे। वह भी दिनेश के साथ अस्पताल गया था। दिनेश को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर ले जाया गया। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ने जैसे ही बोतल चढ़ाना शुरु किया वैसे ही दिनेश की मृत्यु हो गयी। उसके बाद ये सभी लोग पोस्टमार्टम के बाद लाश को लेकर घर आए थे। मेडिकल कालेज मे ही दिनेश कुमार की लाश का पंचयातनामा हुआ। उस पंचयातनामे में वह पंच-गवाह बना। उसके अलावा मोतीलाल पुत्र बेचन जो मृतक दिनेश के पिता है तथा श्यामा पुत्र चन्नर व रामआशीष पुत्र अर्जुन व उमाशंकर पुत्र पूर्णवासी पंच गवाह बने। पंचयातनामा तैयार करने के बाद पढ़कर सुनाने के बाद दरोगा जी ने उसका और पंच गवाहो का पंचयातनामा पर निशानी अंगूठा व

हस्ताक्षर बनवाया था। उस समय ये सभी पंच-गवाहो ने घटना के बारे में दरोगा जी को सही-सही बता दिया था। दिनेश की लाश का दाह-संस्कार गांव के ही पास मझना नाला पर जो देवी स्थान के पास है, वही पर किया गया था। वह भी दाह-संस्कार में शामिल हुआ था। मुल्जिम बैजनाथ पासवान व मृतक दिनेश पासवान एक ही जाति के है और जयकेश पासवान भी उसी जाति का है। सभी लोगों का घर अगल-बगल है। उक्त तीनों आपस में दोस्त थे। घटना के पहले उक्त तीनों में कोई मुकदमेबाजी रंजिश नहीं थी। घटनास्थल पर पहुँचने के पहले क्या-क्या हुआ था इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। घटना के समय अँधेरी रात थी। कार्तिक का महीना था। उक्त तीनों लोग दारू पीते थे। उसने कभी मना नहीं किया कि दारू नहीं पीयो। उक्त तीनों लोग के पास खेती-बारी है। वह ग्राम बनरहा का रहने वाला है तथा दिनेश पासवान, बैजनाथ पासवान व जयकेश पासवान तीनों सूरजपुर पासी टोला के रहने वाले है। घटना के समय दिनेश पासवान के पिता राज-मस्त्री का काम करते थे। जयकेश व बैजनाथ के घर वाले खेती बारी का काम देखते थे और मज़दूरी करते थे। उसका मौजा सूरजपुर में खेत नहीं है उसका जो भी खेत है वह बनरहा मे है। जहाँ घटना हुआ वहाँ सरकारी ट्यूबेल है और ट्यूबेल का पानी बहने के लिए सरकारी नाली भी है।

इस साक्षी ने पुनः अपनी अग्रिम प्रतिपरीक्षा दिनांकित 10.07.2025 को मुख्य रुप से इस आशय का स्पष्ट कथन किया है कि दिनांक 07.07.2025 को उसने इस न्यायालय में जिरह में जो कुछ बातें बतायी है वह सही बताई है किसी के सिखाने से नहीं बताई है उस दिन उसने मुख्य परीक्षा में मात्र इतना बताया है कि दिनांक 12.02.2016 को न्यायालय में जो बयान दिया है वही बयान उसका आज भी है उस बयान में उसने सारी बातें बताई थी, उससे अलग से कोई नई बात नहीं पूछी गयी। जब दिनेश को उसके घर वाले व पुलिस द्वारा अस्पताल चार पहिया गाड़ी से भेजा जा रहा था, उस समय बैजनाथ पासवान और जयकेश भी उपस्थित थे। जब दिनेश अस्पताल चार पहिया गाड़ी से चले गये, उसके बाद बैजनाथ व जयकेश अपने घर चले गए और उसके बाद वे दोनों अपने घर पर ही रहे, कहीं बाहर नहीं गए। जब दिनेश की लाश गोरखपुर से वापस घर आयी उस समय भी बैजनाथ व जयकेश घर पर ही थे और दिनेश के दाह संस्कार में ही वे लोग गए थे तथा वह भी गया था और गांव के काफी लोग भी गए थे। दिनेश का ब्रह्मभोज जब हुआ तो उसमें भी बैजनाथ जयकेश और अन्य लोग भी सम्मलित हुए थे। घटना के

दिन जिस खेत की रखवाली करने दिनेश, जयकेश व बैजनाथ गए थे, वह बटाई का खेत था सब लोग मिल-जुल कर रखवाली करने गए थे। घटना के समय दिनेश की शादी नहीं हुई थी, वह विकलांग था। जब घटनास्थल पर दिनेश के माता-पिता पहुंचे तो दिनेश जहां गिरे थे उनसे दोनों लोग लिपटकर रोए। दिनेश का खून उनके हाथ और कपड़ों पर लगा था। बैजनाथ व जयकेश दिनेश को अस्पताल ले जाने के लिए कहाँ से चार पहिया गाड़ी मँगाए थे, उस जगह का नाम वह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि दिनांक 12.04.2016 को उसने न्यायालय में जो भी बयान दिया था वह मोतीलाल तथा पुलिस के कहने पर झूठा बयान दिया था। यह भी कहना गलत है कि उसने दोबारा न्यायालय में दिनांक 07.07.2025 को जो भी बयान दिया है तथा मुख्य परीक्षा में जो बयान दिया है, वह झूठा बयान दिया है।

23. अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षी **पी.डब्लू.-05 सूर्यभान** पुत्र इन्द्रासन, **उम्र 60 वर्ष, पेशा- खेती**, साकिन सूरजपुर पासी टोला, थाना- रुद्रपुर, जिला- देवरिया, को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में मुख्यतः यह कथन किया है कि घटना हुए साल साल हो गये। समय दस बजे उजाली रात की थी। घटना उसके खेत से दस कदम बगल में हुआ था उसका खेत गाँव के पश्चिम तरफ है। जयकेश ने ललकारा कि दिनेश उर्फ भोला को गोली मार दो। इस पर बैजनाथ ने अपने हाथ में लिए छोटे से असलहे से दिनेश को गोली मार दिया। घटना को उसके अलावा विन्ध्याचल व उनकी पत्नी व दिनेश के माता-पिता शोर पर आ गये थे। केशव प्रधान भी आ गये थे। दिनेश उसके मारने से गोरखपुर में मर गया था। बैजनाथ व मृतक दिनेश उर्फ भोला के बीच जमीन संबन्धी रंजिश थी। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

23 क. बचाव-पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से जिरह/ प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी का कथन है कि जहाँ पर दिनेश की हत्या हुयी थी वह किसी का खेत था। वहाँ से उसकी मड़ई दक्षिण तरफ दस कदम की दूरी पर है। वह अपने मड़ई में अकेले सोया था। वह मंड़ई में रहकर खेती व बिजली की मशीन की रखवाली के लिए सोया था। दस बजे रात में घटना के समय वह पेशाब करने के लिए उठा था। उसने एक

फायर की आवाज सुना। वह फायर की आवाज सुनकर घटनास्थल पर गया। फायर किसने किया उसने नहीं देखा। उसके शोर करने पर उसके बाद विन्ध्याचल गये और दिनेश के माता-पिता भी घटनास्थल पर आ गये। घटनास्थल से दस बीघा दूरी यानी दस फर्लांग पूरब दिशा में मोती लाल का घर है, जिस समय वह घटनास्थल पर पहुँचा था उस समयय दिनेश जिवित था। घटनास्थल से दिनेश व उसकी माता को लेकर गये थे। वह दिनेश के साथ नहीं गया इस मुकदमें के सिलसिले में दरोगा ने उसका एक बार बयान लिया था। वह घटना वाली रात को दिनेश के घर नहीं गया था। वह दिनांक 31.10.2009 के धारा-161 दं.प्र.सं. के बयान में दरोगा को यह नहीं बताया था कि "कल रात में करीब 1 बजे मेरे गाँव के बैजनाथ पासवान व जयकेश पासवान मेरे पास घबराये हुए आये ....मैं तुरन्त दोनों को लेकर मोतीलाल के पास पहुँचा सूचना दिया।" यदि उपरोक्त बात उसके बयान में दरोगा ने लिखा है तो इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। रात में ही घटनास्थल पर पुलिस करीब 11 बजे रात में आ गयी तथा बैजनाथ को पकड़कर ले गयी। यह कहना गलत है कि उसने कोई घटना नहीं देखा था और न तो घटना के बारे में कुछ जानता है तथा वादी के कहने पर झूठा बयान दे रहा है।

24. अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षी **पी.डब्लू.-06 सुमन पासवान** पुत्र मोतीलाल पासवान, **उम्र 18 वर्ष, पेशा- गृहस्थी**, साकिन सूरजपुर पासी टोला, थाना- रुद्रपुर, जिला- देवरिया, को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में मुख्यतः यह कथन किया है कि घटना दिनांक 30.10.2009 की है। समय साढ़े दस बजे रात का था। घटना के दिन बैजनाथ उसके भाई दिनेश को लेकर धान के खेत की रखवाली के लिये गया और लेजाकर उसके भाई को गोली मार दिया। बैजनाथ के साथ जयकेश भी था। घटना के तीन दिन पहले बैजनाथ से उसकी मुलाकात हुयी थी। बैजनाथ से मुलाकात उसके घर के आगे उसकी मंडई है वहीं पर हुई थी। बैजनाथ घटना के दिन रिवाल्वर लिए हुए था लेकिन वह जान नहीं पायी। वहाँ पर उसका भाई दिनेश भी था। दिनेश ने रिवाल्वर नहीं देखा था। उस दिन उस रिवाल्वर को उसका भाई देखने के लिए मांगा तो वह नहीं दिया और यह कहा कि जो उससे टक्कर लेगा

उसकी जान इसी से मार देगा और उसी रिवाल्वर से उसके भाई दिनेश को बैजनाथ ने गोली मार दिया। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

24 क. बचाव-पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से जिरह/प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी का कथन है कि विवेचक ने उसका बयान इस मुकदमे के सिलसिले में कभी नहीं लिया था आज जो बयान उसने न्यायालय में दिया है उसके पहले कभी भी कोई बयान नहीं दिया है और न ही इस संबन्ध में किसी से बतायी थी। बैजनाथ उसके भाई को उसी दिन ले गया उसके पहले कोई बोलचाल उसके भाई दिनेश से व बैजनाथ से नहीं थी। बैजनाथ से दो-तीन साल पहले से बोल-चाल नहीं थी। जब उसके भाई दिनेश को बुलाकर बैजनाथ ले गया तो उस समय वह खाना बना रही थी। उसने अपने भाई को मना नहीं किया कि तुम दुश्मन के साथ मत जाओ। जब बुलाकर लेकर गये उस समय शाम को 6 बज रहा था। उस समय उसकी माता घर पर मौजूद थी। पिताजी घर पर नहीं थे। जब बैजनाथ बुलाकर ले गया उस समय उसकी माता दूसरे घर में थी। जहाँ पर खाना बना रही थी वहाँ से दूसरा घर थोड़ी दूरी पर पूरब है दोनों तरफ दरवाजा खुलता है। वह पलानी का घर है वह अपने भाई के कत्ल के बारे में साढ़े दस बजे रात को जानी थी। उस समय वह शो रही थी। दिनेश को बैजनाथ बुलाकर के मारा था यह बात उसके बयान में नहीं लिखा है तो वह इसकी वजह नहीं बता सकती। बैजनाथ के पास असलहा देखने वाली बात जो बतायी है वह आज उसके सामने नहीं है। वह लगभग एक फीट का था। वह दूर से देखी थी। वह नहीं जान पायी कि किस चीज का बना हुआ था। बैजनाथ कहता था कि उस असलहे से किसी का जान मारा जा सकता है। वह असलहा उसके भाई के मारने के तीन दिन पहले अपने मंडई से देखी थी। बिना वजह के बैजनाथ ने उसे असलहा दिखाया था। उस समय वह एवं उसका बड़ा भाई दिनेश था। उसने इस बात को कि बैजनाथ के पास रिवाल्वर देखी है चौकीदार व प्रधान को नहीं बतायी थी। उसे पता नहीं था कि वह चीज क्या थी। बाद में पता चला तब भी उस वस्तु के बारे में किसी से नहीं बतायी। जो वस्तु उसने बैजनाथ के पास देखा था उसकी कोई खास पहचान वह नहीं बता सकती। असलहा घटना के दिन 11 बज दिन में देखी थी। उसके बाद

असलहा को तीन दिन पहले देखने के बाद आज तक नहीं देखी है। यह कहना गलत है कि आज वह दूसरे के सिखाने पर बयान दे रही है।

इस साक्षी ने पुनः अपनी अग्रिम मुख्य परीक्षा दिनांकित 30.07.2025 को मुख्य रुप से इस आशय का स्पष्ट कथन किया है कि आज के पूर्व दिनांक 23.08.2016 को न्यायालय में उसका बयान हुआ था उस समय उसने जो बयान मुख्य परीक्षा में दिया था वही बयान उसका आज भी है। उस बयान में उसने सारी बात बतायी थी। जो घटना वह जानती थी वह बात उसके द्वारा अपने मुख्य परीक्षा के बयान में बताया गया था, वहीं बयान उसका आज भी है। उसके गाँव के सूर्यभान पुत्र इन्द्रासन की मृत्यु हो गयी है।

बचाव-पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से जिरह/ प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी का कथन है कि जिसकी हत्या हुई उसका नाम दिनेश था। घटना के समय वह घर पर थी। यह घटना धान के खेत पर हुई थी। घटनास्थल पर बैजनाथ, जयकेश व उसके भाई थे और कोई नहीं था। <u>घटना कब हुई, कैसे हुई और कहाँ हुई वह अपनी आँख से नहीं देखी थी।</u> शोर हुआ कि उसके भाई दिनेश को गोली लग गई है और वह धान के खेत में गिरा हुआ है। जब लोग घटनास्थल पर गए तो उसके भाई दिनेश धान के खेत में बेहोश अवस्था मे गिरा हुआ था उसे लाद-फाद के अस्पताल ले जाया गया। दिनेश, जयकेश व बैजनाथ धान की रखवाली करने के लिए गए हुए थे। तीनो लोग अच्छे दोस्त थे तीनो में जान-पहचान थी। घटना के पहले दिनेश, वह व उसके घर के लोग बैजनाथ व जयकेश के घर आते जाते थे और उसके घर के लोग भी आते-जाते थे। उसके भाई दिनेश को गोरखपुर अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसकी मौत हो गई। थाना रुद्रपुर पुलिस घटना के समय आ गयी और दिनेश को लाद-फाद कर अस्पताल लेकर गयी। उसके पिता मोती लाल व माता चानमती भी दिनेश के साथ गोरखपुर गए थे। गोरखपुर से दिनेश की लाश आने पर लाश का दाह-संस्कार हुआ व ब्रम्ह-भोज हुआ। घर पर ही ब्रम्ह-भोज हुआ था। उसे नहीं मालूम है कि बैजनाथ व जयकेश ब्रम्ह-भोज के समय उसके घर आए थे कि नहीं। उनके घर के लोग भी आए थे कि नहीं यह भी उसे नहीं मालूम। उसे नहीं मालूम है

कि इस घटना से पहले उसके भाई दिनेश व अभियुक्तगण के बीच झगड़ा विवाद हुआ था कि नहीं। जिस खेत की ऱखवाली करने उसका भाई गया था वह बैजनाथ का खेत था। उसका भाई दिनेश उसकी जानकारी मे शराब नहीं पीता था। घटना रात के करीब 10:00-11:00 बजे हुई थी। वह खाना खा पीकर घर पर सोई हुई थी। घटना के समय उसकी शादी नहीं हुई थी। उसके भाई दिनेश की भी शादी नहीं हुई थी। इस घटना के पहले बैजनाथ व जयकेश से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी और न तो उससे कहे थे और न ही उसे मारे-पीटे थे। घटना के बारे में घर परिवार से उसे जो जानकारी हुई उस पर विश्वास करके वह आज यह बयान दे रही है। उसे अपने भाई दिनेश की हत्या की शंका बैजनाथ व जयकेश पर है अन्य किसी व्यक्ति पर नहीं है। यह कहना गलत है कि उसने मुख्य परीक्षा में जो भी बयान दिया है वह झूठा बयान दिया है। यह कहना सही है कि आज से लगभग नौ वर्ष पूर्व न्यायालय में उसका बयान हुआ था। उस समय उसने जो बयान दिया था सही-सही दिया था लेकिन उस समय क्या-क्या बयान दिया था इस समय उसे याद नहीं है। यह कहना गलत है कि आज से नौ वर्ष पूर्व जो बयान दिया था वह पुलिस के सिखाने तथा परिवार के लोगो के सिखाने के आधार पर झूठा बयान दिया था।

25. अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षी **पी.डब्लू.-07 एस.आई. हरेन्द्र कुमार मिश्र** तैनाती थाना फरेन्दा, जनपद महराजगंज को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में मुख्यतः यह कथन किया है कि दिनांक 31.10.2009 को बतौर चौकी प्रभारी रामलच्छन थाना रुद्रपुर जिला देवरिया में तैनात था। मुकदमा अ०सं० 777/2009, धारा-286,304ए भा.दं.सं. व मुकदमा अ०सं० 778/2009, धारा-3/25 आयुध अधिनियम, थाना रुद्रपुर की विवेचना उसे प्राप्त हुई, थाना कार्यालय से नकल चिक नकल रपट प्राप्त होने पर दिनांक 31.10.2009 को पर्चा नं०1 में विवेचना प्रारम्भ करते हुए नकल चिक नकल तहरीर, हिन्दी वादी नकल रपट किया वादी मुकदमा बैजनाथ पासवान, जो इस मुकदमें का अभियुक्त है थाना हाजा पर मौजूद था जो अपने साथ घटना में प्रयुक्त 32 बोर देशी रिवाल्वर तथा एक खोखा कारतूस के साथ थाना में हाजिर था देशी रिवाल्वर को, कब्जा पुलिस में

लेकर फर्द तैयार किया, जो पत्रावली में शामिल कागज संख्या 8क/1 उसके लेख व हस्ताक्षर में है फर्द पर बैजनाथ पासवान व जयकेश पासवान का हस्ताक्षर बना फर्द की नकल बैजनाथ पासवान को दी गई फर्द पर प्रदर्श क-4 डाला गया तथा इसका उल्लेख जी.डी. 21 समय 9.05 बजे दिनांक 31.10.2009 को उसके द्वारा किया गया है, जिसकी कार्बन प्रति पत्रावली में शामिल कागज संख्या 6क/3 है जो मूल के साथ एक ही क्रम में तैयार की गयी है जो असल की मुताबिक सही है जिसे पहचानता व प्रमाणित करता है जिस पर प्रदर्श क-5 डाला गया। उक्त फर्द का उल्लेख सी.डी. में भी किया। तत्पश्चात वादी मुकदमा जो वर्तमान समय में अभियुक्त है बैजनाथ पासवान पुत्र सागर पासवान थाना हाजा पर मौजूद था उसका बयान अंकित किया। थाने पर मौजूद गवाह जयकेश पासवान पुत्र राधेश्याम पासवान का बयान अंकित किया तथा जयकेश पासवान व बैजनाथ पासवान के निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया जो पत्रावली में शामिल कागज संख्या 16क/1 उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर प्रदर्श क-6 डाला गया मौके पर तमाम लोग मौजूद थे उनके सामने मौके से एक अदद फटी जूट की बौरी जिस पर मृतक दिनेश पासवान पुत्र मोतीलाल पासवान के खून के धब्बे लगे थे समक्ष गवाहान वशिष्ठ प्रजापति केशव व बैजनाथ पासवान के समक्ष उक्त जूट की बोरी को जांच हेतु कब्जा पुलिस में लिया गया। फर्द मौके पर लिख-पढकर सुनाकर मौके पर संबंधित के अलामात बनवाये गये। उक्त फर्द पत्रावली में शामिल कागज सं०-8क/2 है जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर प्रदर्श क-7 डाला गया तथा इसका उल्लेख सी०डी० में किया। तत्पश्चात सकई साक्षी श्री उदयनरायन एवं केशवलाल निषाद का बयान अंकित किया गया। तत्पश्चात गवाह श्री सूर्यभान निषाद पुत्र स्व० इन्द्रासन निषाद का बयान अंकित किया गया। दिनांक 02.11.09 को पर्चा नं०-02 में मृतक दिनेश पासवान के पिता मोतीलाल पासवान एवं गवाह अवनीश पासवान का बयान अंकित किया। मृतक के पिता मोतीलाल एवं गवाह अवनीश पासवान ने अपने बयान में बताया कि दिनांक 30.10.09 की रात में बैजनाथ पासवान, दिनेश को धान की रखवाली हेतु ले गया था, वहाँ जाने पर बैजनाथ अपने रिवाल्वर

से दिनेश पासवान को मारकर हत्या किया। इस पर बैजनाथ पासवान की तलाश की गयी लेकिन दस्तेयाक नहीं हुआ। मृतक के पिता मोतीलाल के बयान में यह बताया गया कि अभियुक्त बैजनाथ ने कहा था कि उक्त रिवाल्वर रामलक्षन मे हिरा नामक व्यक्ति से खरीदा है। उसी हिरा नामक व्यक्ति को बुलाया गया और उसका बयान लिया गया। दिनांक 10.11.2009 को बैजनाथ पासवान को गिरफ्तार कर उसका मजीद बयान अंकित किया और उसने अपने मजीद बयान में यह बताया कि दिनांक <u>31.10.09 को थाने पर जो सूचना उसने दिया था वह थोड़ा गलत दिया था। रिवाल्वर उसके द्वारा ही रखा गया था..........."यह रिवाल्वर मेरी बेवकूफी की वजह से चली है।</u>" अब तक की विवेचना से बैजनाथ पासवान पुत्र सागर पासवान को बतौर अभियुक्त पाते हुए थाना हाजा के हवालात में बहवाले रपट नं20 समय 10.30 बजे दाखिल किया गया जिसकी कार्बन प्रति 6क/5 है, जो मूल के साथ एक ही क्रम में उसके द्वारा तैयार की गयी है, जिस पर प्रदर्श क-8 डाला गया तत्पश्चात अभियुक्त बैजनाथ पासवान को न्यायालय भेजा गया। दिनांक 12.11.09 को पर्चा नं० 4 में गवाह चानमती देवी पत्नी मोतीलाल पासवान गवान कुमारी सुमन पुत्री मोतीलाल पासवान, गवाह विन्ध्याचल यादव पुत्र ठगई यादव का बयान अंकित किया दिनांक 26.11.09 को पर्चा नं 5 में मृतक दिनेश पासवान की गोरखपुर मेडिकल कालेज मे मृत्यु दिनांक 31.10.09 को समय 3.40 ए.एम पर होना प्राप्त हुआ तथा यह भी ज्ञात हुआ उक्त मृतक का पी.एम. रिपोर्ट थाना मुलरिहा के माध्यम से भेज दिया गया है। दिनांक 07.12.09 को पर्चा नं-6 में मृतक दिनेश का पंचयातनामा प्राप्त हुआ जिसका उल्लेख सी.डी. में किया तत्पश्चात पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसका अवलोकन कर सी.डी. में अंकित किया। अब तक की तमामी विवेचना से अभियुक्त बैजनाथ पासवान पुत्र सागर पासवान के खिलाफ जुर्म धारा-286/304 भा.दं.सं. का साक्ष्य पाते हुए अभियुक्त के खिलाफ धारा 304 भा.दं.सं. की बढोत्तरी की गयी जिसका उल्लेख जी.डी. नं-38 समय 9.30 ए.एम बजे दिनांक 07.12.09 पर उसके द्वारा अंकित किया गया है जिसकी कार्बन प्रति 7क/2 मूल के साथ एक ही क्रम में तैयार की गयी है। तथा असल के मुताबिक सही है जिस पर प्रदर्श क-9

डाला गया है। दिनांक 18.12.09 को पर्चा नं-7 में अभियुक्त के पास से बरामद रिवाल्वर का अभियोजन अनुमति प्राप्त करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट देवरिया को रिपोर्ट प्रेषित की गयी तथा अभियुक्त का अग्रिम रिमाण्ड प्राप्त किया गया उसी दिन पर्चा नं-7 ए में जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा अभियुक्त के खिलाफ अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई। उक्त स्वीकृति आदेश एस.टी. नं.-56/2010 राज्य प्रति बैजनाथ पासवान, धारा-3/25 आयुध अधिनियम में शामिल कागज संख्या 8क/1 है जिस तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट पवन कुमार का हस्ताक्षर है जिन्होंने उसके सामने हस्ताक्षर किया था जानता व पहचानता है। जिस पर प्रदर्श क-10 डाला गया तथा इसका उल्लेख सी.डी. में किया। तत्पश्चात एफ.आई.आर. लेखक का० मु० श्रीकृष्ण प्रजापति का बयान अंकित किया तमामी विवेचना से अभियुक्त बैजनाथ पासवान पुत्र सागर पासवान निवासी सूरजपुर पासी टोला थाना रूद्रपुर जिला देवरिया के खिलाफ जुर्म धारा-182/286/304 भा.दं.सं. एवं 3/25 आयुध अधिनियम का पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए अभियुक्त बैजनाथ पासवान के खिलाफ आरोप-पत्र प्रेषित किया जो एस.टी. सं० 47/2010 में कागज संख्या 3क/1 है उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क-11 डाला गया तथा दूसरी चार्जशीट एस.टी. नं- 56/2010 राज्य प्रति बैजनाथ पासवान, धारा-3/25 आयुध अधिनियम इतने में कागज संख्या 3क/1 आरोप पत्र उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर प्रदर्श क-12 डाला गया। उक्त मुकदमें से संबन्धित बरामद रिवाल्वर व खोखा कारतूस आज उसके सामने नहीं है।

इस साक्षी नें अपनी अग्रिम मुख्य परीक्षा दिनांकित 06.12.2016 में इस आशय का स्पष्ट कथन किया कि आज थाने के पैरोकार अभियुक्त बैजनाथ के पास से बरामद रिवाल्वर न्यायालय के समक्ष लाया गया है जिसके उपर का कपड़ा जंग लगने के कारण सील मोहर व कपड़ा फटा हुआ है। रिवाल्वर को देखकर उसने बताया कि यह वही रिवाल्वर है जो अभियुक्त बैजनाथ पासवान के पास से बरामद हुआ था, जिस पर भौतिक वस्तु प्रदर्श 1 डाला गया। बरामद खोखा थाने के मालखाने से गायब होने के कारण आज उसके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

23 ख. बचाव-पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से जिरह/ प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी का कथन है कि रिवाल्वर भौतिक वस्तु प्रदर्श 1 उसके सामने थाना मालखाने से बिना सील कवर के खुले हालत में उसके सामने लाया गया है। कपड़ा सड़ गया है कपड़े के टुकड़े मौजूद है। रिवाल्वर का कोई विशिष्ट चिन्ह नहीं बता सकता। प्रदर्श क-4 में वस्तु प्रदर्श 1 का कोई विशिष्ट चिह्न नहीं है हुलिया अंकित है। प्रदर्श क-4 थाने पर मुकदमा कायमी के बाद उसी दिन तैयार किया गया था। इस पर उसके अलावा किसी पुलिसकर्मा का हस्ताक्षर नहीं है और न ही किसी जनसाक्षी का हस्ताक्षर है। अभियुक्त का हस्ताक्षर है। जनसाक्षी जयकेश पासवान का हस्ताक्षर है। जिस समय मुकदमा कायम हुआ उस समय थाने पर वह मौजूद नहीं था। उस समय थाने पर इंस्पेक्टर विजय शंकर तिवारी मौजूद थे। यह कहना गलत है कि कागज संख्या 5क/1 मुल्जिम बैजनाथ के उपर दबाव देकर थाने में लिखवाया गया था। वस्तु प्रदर्श 1 बैलिस्टिक जाँच हेतु उसके द्वारा नहीं भेजा गया था। इस घटना के संबन्ध में मोतीलाल की तरफ से उस समय कोई दरखास्त नहीं मिली थी। बाद में पुलिस अधीक्षक के माध्यम से प्रार्थना पत्र आया था। उस प्रार्थना पत्र का कोई उल्लेख उसने अपने सी.डी. में नहीं किया। मोतीलाल ने उसे यह बयान नहीं दिया था कि "मैं भी पीछ-पीछे बैजनाथ के खेत की तरफ विन्ध्याचल यादव के घोठे पर गया तो गोली की आवाज सुनायी दी।" चानमती गवाह ने उसे यह बयान नहीं दिया था कि "मैनें अपने लड़के दिनेश को साथ जाने से मना किया परन्तु फिर भी चला गया।" चानमती उसे यह बयान दी थी कि "करीब 12-01 बजे के बीच विन्ध्याचल यादव चिल्लाते हुए आये और पति का नाम लेकर कहा चलो तुम्हारे लड़के को भोला के खेत में कत्ल हो गया है।" मुझे उक्त चानमती ने यह बताया था कि "रात में करीब 12-1 बजे के बीच...............खेत में मर्डर हो गया है। तुरन्त हम लोग रोते गाते खेत में पहुँचे।" चानमती ने उसे अपने 161 दं.प्र.सं. के बयान में यह नहीं बताया कि "मेरे लड़के दिनेश ने बताया कि माँ मुझे बैजनाथ ने जयकेश के ललकारने पर मारा।" <u>उसने खून लगा कपड़ा गवाहान का अपने कब्जे में नहीं लिया था।</u> अवनीश गवाह ने उसे अपने 161 दं.प्र.सं. के बयान में यह नहीं बताया था कि "दिनेश ने स्वयं

कहा कि जयकेश ने ललकारा था और बैजनाथ ने गोली मारी थी।" उससे अवनीश ने अपने बयान में नहीं बताया था कि "बैजनाथ मेरे घर सात बजे दिनेश को लेने आये थे और लेकर चले गये बल्कि यह बताया था कि दिनांक 30.10.09 की रात में मेरे भाई दिनेश को बैजनाथ धान की रखवाली हेतु अपने साथ ले गया था।" विन्ध्याचल यादव गवाह ने अपने बयान में उसे बताया था कि "करीब 12-1 बजे रात में मेरे गाँव के सूर्यभान निषाद व बैजनाथ पासवान तथा जयकेश पासवान चिल्लाते हुए आये और जगा कर कहे कि भोला उर्फ दिनेश पासवान की सागर पासवान के खेत में हत्या हो गयी है।" उसने यह भी उसे बताया था कि "मैं तुरन्त मौके पर सूर्यभान, बैजनाथ व जयकेश को वहीं मौके पर छोड़कर तुरन्त मोतीलाल के घर पर पहुँचा व वहाँ की स्थिति को बताया सभी लोग रोते हुए मौके पर पहुँचे।" इस गवाह नें अपने बयान में उसे यह नहीं बताया था कि दिनेश से पूछा कि "तुमको गोली कैसे लगी है तो दिनेश ने बताया कि जयकेश के ललकारने पर बैजनाथ ने गोली मारा है।" उसने दौरान विवेचना वादी की खून से लगी कोई चारपाई कब्जे में नहीं लिया था। बल्कि मौके से खूनालूदा जूट की बोरी ली गयी थी। जूट की बोरी उसने परीक्षण हेतु नहीं भेजा था। सूर्यभान गवाह ने अपने 161 दं.प्र.सं. के बयान में यह बताया था कि "कल रात में 1 बजे के करीब मेरे गाँव के बैजनाथ पासवान व जयकेश पासवान मेरे पास घबराये हुए आये व कहने लगे कि चाचा मेरे मित्र दिनेश को गोली लग गयी है दोनों को लेकर मोतीलाल के पास पहुँचा और सूचना दिया।" गवाह सुमन पासवान ने उसे यह बयान नहीं दिया कि "दिनेश को बैजनाथ बुलाकर ले गया।" यह कहना गलत है कि उसने गलत चार्जशीट लगायी है। जयकेश मुल्जिम के खिलाफ दौरान विवेचना कोई साक्ष्य मुल्जिम होने का नहीं मिला।

इस साक्षी ने अपने अग्रिम मुख्य परीक्षा दिनांकित 07.08.2025 को मुख्य रुप से इस आशय का स्पष्ट कथन किया है कि इस मुकदमे में उसकी गवाही न्यायालय में दिनांक 23.11.2016 को पी०डब्लू-07 के रूप में हो चुकी है। उसके द्वारा विवेचना उपरान्त आरोप-

पत्र उसके द्वारा लगाया गया था। उसने न्यायालय में दिनांक 23.11.2016 को जो बयान दिया था, वहीं बयान उसका आज भी है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता इस साक्षी से पुनः प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी ने मुख्य रुप से इस आशय का स्पष्ट कथन किया है कि उसने इस मुकदमें की विवेचना दिनांक 31.10.2009 को शुरू किया था। इस मुकदमे का वादी बैजनाथ पासवान पुत्र सागर पासवान साकिन पासी टोला सूरजपुर थाना रूद्रपुर जिला देवरिया था, जो इस मुकदमे के दौरान विवेचना मुल्जिम बनाया गया। इस मुकदमें की एफ०आई०आर० मृतक दिनेश पासवान पुत्र मोतीलाल पासवान साकिन पासीटोला सूरजपुर थाना रूद्रपुर जनपद देवरिया के विरुद्व दर्ज हुआ था इस मुकदमें की एफ०आई०आर० धारा 286 भा०दं०सं० व 304A भा०दं०सं० तथा 3/25 आयुध अधिनियम में दर्ज हुआ था। इस मुकदमें की एफ०आई०आर० के अनुसार दिनेश पासवान को गोली लापरवाही के दौरान रिवाल्वर का ट्रीगर दब जाने के कारण आई थी जिससे दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गयी थी। इस मुकदमें की एफ०आई०आर० के अनुसार घटना के दौरान इस मुकदमे का मृतक शराब पीये हुए था और शराब के नशे के दौरान दिनेश पासवान द्वारा देशी 32 बोर रिवाल्वर हाथ ऊपर करके दो बार ट्रीगर दबाया गया जिससे उसके कनपटी पर चोट आयी और वह तुरन्त घायल होकर गिर गया। इस घटना में जिस रिवाल्वर से दिनेश पासवान को चोट आयी थी उसे वादी बैजनाथ पासवान द्वारा थाने पर एफ०आई०आर० दर्ज कराते समय स्वंय लाकर थाने पर जमा किया गया था जिसकी फर्द उसके द्वारा बनायी गयी थी। मृतक दिनेश पासवान के पिता मोतीलाल, माता चानमती और बहन सुमन, गवाह विंध्याचल या किसी के द्वारा इस घटना के बाबत् कोई एफ०आई०आर० तत्समय थाना रूद्रपुर में दर्ज नहीं कराया था। बाद मे मृतक के पिता मोतीलाल द्वारा धारा 156(3) सी०आर०पी०सी० के माध्यम से बैजनाथ व जयकेश के विरूद्व एफ०आई०आर० अपराध संख्या 435C/2011 दर्ज कराया था मगर उस मामले में अन्तिम रिपोर्ट इस कारण प्रेषित कर दी गयी क्योकिं मृतक के मृत्यु के सम्बन्ध पूर्व में अपराध संख्या-777/2009 पर बैजनाथ पासवान के प्रार्थना पत्र पर

मुकदमा दर्ज था। इस मुकदमें में आरोप-पत्र भी अपराध संख्या 777/2009 में प्रेषित की गयी है। उसने मृतक के पिता मोतीलाल पुत्र बेचन पासी का बयान दिनांक 02.11.2009 को लिया, उक्त साक्षी के बयान के अनुसार वह घटना का चश्मदीद गवाह नहीं था। उसी दिन उसने अवनीश पासवान पुत्र मोतीलाल पासवान का बयान लिया, उक्त साक्षी भी घटना का चश्मदीद गवाह नहीं था। उसने पर्चा नम्बर -04 दिनांक 12.11.2009 चानमती देवी पत्नी मोतीलाल पासवान का बयान लिया, उक्त चानमती देवी भी घटना की चश्मदीद गवाह नहीं थी। उसी दिन उसके द्वारा सुमन पुत्री मोतीलाल पासवान व विंध्याचल यादव पुत्र ठगई यादव साकिनान- सूरजपुर थाना रूद्रपुर जनपद देवरिया का बयान लिया गया, उक्त सुमन व विंध्याचल यादव भी घटना का चश्मदीद गवाह नहीं था। उसने पर्चा नम्बर-01 दिनांक 31.10.2009 सूर्यभान निषाद पुत्र स्व० इन्द्रासन निषाद, साकिन सूरजपुर, थाना रूद्रपुर, जिला देवरिया का बयान लिया था उक्त सूर्यभान निषाद भी घटना का चश्मदीद गवाह नहीं था। इस मुकदमे में जो रिवाल्वर उसने कब्जे में लिया था व फर्द बनाया था, वह रिवाल्वर आज न्यायालय में उसके सामने नहीं है। मृतक या किसी गवाह का खून लगा कोई कपड़ा उसने दौरान विवेचना अपने कब्जे में नहीं लिया था। दौरान विवेचना उसके द्वारा मृतक के पंचायतनामा का अवलोकन किया गया था जिसमें मृतक के पिता मोतीलाल व गवाह विंध्याचल यादव तथा श्यामा पुत्र चन्दन, रामअशीष पुत्र अर्जुन, उमाशंकर पुत्र पूर्णवासी पंच गवाह थे। उसमें राय पचांग में अभियुक्त बैजनाथ पासवान या जयकेश पासवान द्वारा मृतक को गोली मारना नहीं कहा गया था। यह सही है कि दौरान विवेचना अभियुक्त जयकेश पासवान पुत्र राधेश्याम पासवान साकिन सूरजपुर थाना रूद्रपुर जनपद देवरिया के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं पाया गया था। उसने केवल एक अभियुक्त बैजनाथ पासवान पुत्र सागर पासवान के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किया था। जो फर्द बरामदगी मैंने बनाया था उसमें बैजनाथ पासवान के साथ जयकेश पासवान को भी फर्द का गवाह बनाया था। यह कहना गलत है कि उसने वादी मुकदमा व उच्चाधिकारियों के दबाव में अभियुक्त बैजनाथ पासवान के विरूद्ध बिना किसी साक्ष्य के फर्जी आरोप-पत्र प्रेषित

किया। यह सही है कि मैंने मोतीलाल, चानमती, विंध्याचल, सूर्यभान, अवनीश व सुमन के अलावा किसी अन्य स्वतंत्र साक्षी का घटना के सम्बन्ध में कोई बयान नहीं लिया था।

24. अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षी **पी.डब्लू.-08 डॉ० एन०पी० गुप्ता जिला चिकित्सालय कुशीनगर** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में मुख्यतः यह कथन किया है कि वह दिनांक 31.10.2009 को जिला चिकित्सालय गोरखपुर में तैनात था तथा उस दिन उसकी पोस्टमार्टम ड्यूटी थी। दिनांक 31.10.2009 को मृतक दिनेश कुमार उम्र 25 साल पुत्र मोतीलाल पासी निवासी ग्राम सूरजपुर थाना रुद्रपुर जिला देवरिया के मृत शरीर को एस.ओ. मुलरिहा के द्वारा कपड़े में लपेट कर सील मुहर कर के कॉ० सी.पी. नं.1797 छोटेलाल व सी.पी. नं० 1139 चन्द्रदेव कुशवाहा के द्वारा शव विच्छेदन करने हेतु भेजा गया था। दिनांक 31.10.09 समय 03.30 बजे अपराह्न को उसके द्वारा मृतक के शरीर का शव विच्छेदन किया गया। जिसकी पोस्टमार्टम संख्या 1830/2009 है। मृतक की उम्र लगभग 25 वर्ष थी सामान्य कद-काठी का था। मृतक के शरीर पर अकड़न (राइजर मार्टिस) उपर एवं नीचे Limb में था। मृतक के शरीर पर निम्न चोटें थी। चोट संख्या-1 आग्नेयास्त्र के द्वारा प्रवेश घाव (Wound of Entry) जिसका आकार 1.5cm x 01cm दाहिने तरफ खोपड़ी पर दाहिने आँख के भौह के किनारे से 4.00cm ऊपर था। घाव में कालापन था। विच्छेदन करने पर दाहिने खोपड़ी की पेराइटल बोन में छेद था घाव का किनारा (मार्जिन्स) अन्दर की तरफ था।

चोट संख्या-2 सूजा हुआ घाव 2.5cm x 3.00cm बायी तरफ खोपड़ी पर बाये आँख के भौह से 5.00cm उपर था। जिसका विच्छेदन करने पर 1.00cm x .5cm का एक बुलेट पाया गया। जिसे सील करके सम्बन्धित सिपाही को हैण्डओवर कर दिया गया। बांयी तरफ पेराइटल बोन में छेद था।

आंतरिक परीक्षण- ब्रेन के परीक्षण में लालीपन था। ब्रेन लैसरेटेड (फटा हुआ) घाव था। उसमें जमा हुआ खून (हेमाटोमा) था। शेष चीजे सामान्य थी। मृतक की मृत्यु करीब एक दिन पुरानी थी।

मृत्यु का कारण- सिर में गोली लगने के कारण कोमा के कारण से हुई थी।

पोस्टमार्टम उसके लेख में तैयार किया गया, जिस पर उसका हस्ताक्षर है जिस पर प्रदर्श क-13 डाला गया। पोस्टमार्टम की एक कॉपी एस.एस.पी. गोरखपुर को टोटल एनक्लोजर 7 के साथ भेजी गयी। दूसरी कॉपी एस.ओ. मुलरिहा को दी गयी। तीसरी कॉपी सी.एम.ओ. गोरखपुर को भेजी गयी। मृतक के शरीर पर मृत पूर्व आयी चोट संख्या-1 रिवाल्वर या कट्टा से आना संभव है। उपरोक्त मरीज के शरीर पर Wound of exit नहीं है। मृतक की मृत्यु मृतक के शरीर पर आयी चोटों के कारण आना संभव है।

24 क. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से जिरह/प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी ने मुख्य रुप से इस आशय का स्पष्ट कथन किया कि यह नहीं बताया जा सकता कि चोट लगने के उपरान्त मरीज बोल सकता था या नहीं। चोट लगने के बाद मरीज की हालत गम्भीर हो गयी होगी।

25. अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षी **पी.डब्लू.-09 श्रीकृष्ण प्रजापति वर्तमान तैनाती बतौर उपनिरीक्षक थाना अहरौला जनपद आजमगढ़** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में मुख्यतः यह कथन किया है कि दिनांक 31.10.2009 को वह थाना रुद्रपुर में बतौर का०मु० के पद पर तैनात था। वह थाना कार्यालय में मौजूद था कि समय करीब 08.30 बजे बैजनाथ पासवान पुत्र सागर पासवान मय हमराह जयकेश पासवान पुत्र राधेश्याम पासवान निवासीगण सूरजपुर पासी टोला थाना रुद्रपुर देवरिया उपस्थित थाने आकर एक किता प्रार्थना पत्र "दिनांक 30.10.2009 को रात्रि में खाना खाने के बाद मैं व मेरा भतीजा जयकेश पासवान व मेरे मित्र दिनेश पासवान निवासी सूरजपुर थाना रुद्रपुर देवरिया खुले धान की खेत की रखवाली के लिए खेत पर गये थे कि खेत पर मैं व मेरा मित्र दिनेश मेरे द्वारा रामलक्षन ठेके से लाये गये शराब को पिये। उसके बाद हमदोनों आपस में बात-चीत करते रहे और मेरा भतीजा जयकेश सो गया। हम दोनों लोग किसमत का

खेल खेल रहे थे। मेरे मित्र दिनेश पासवान देशी 32 बोर वाली रिवाल्वर से हाथ उपर कर के दो बार ट्रीगर दबाया मैने मना किया कि यह हथियार है इससे मत खेलो इसी बीच मेरे मित्र यह कहते हुए कि तुम इतने डरपोक हो देखो इसमें कुछ नहीं है और अपने कनपटी पर रिवाल्वर मोड़ कर चला दिया जिसकी चोट से वह तुरन्त घायल हो गया। मैंने अपने भतीजे जयकेश को जगाया और थोड़ी दूर पर चल रहे ट्यूबवेल पर विन्ध्याचल को जाकर सारी घटना बतायी" के बाबत प्रार्थना पत्र के आधार मु०अ०सं० 777/09 धारा-286/304A IPC व मु०अ०सं० 778/09 धारा-3/25 आयुध अधिनियम बा मुद्दत बैजनाथ पासवान बनाम दिनेश पासवान उपरोक्त बतफ्तीशी उपनिरीक्षक हरेन्द्र कुमार मिश्र पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त चिक संख्या 155/2009 पर किता किया गया है। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 4क/1 संलग्न है जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिसे वह पहचानता व प्रमाणित करता है, जिस पर प्रदर्श क-14 डाला गया। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 5क/1 मुकदमा तहरीर संलग्न है। जिसके आधार पर ही उसने चिक प्रदर्श क-14 तैयार किया था। जिस देशी रिवाल्वर से दिनेश ने अपने उपर फायर किया था उस रिवाल्वर को भी बैजनाथ पासवान स्वयं लेकर थाने आया था। उसी रिवाल्वर के आधार पर 778/09 धारा-3/25 आयुध अधिनियम अंकित किया गया। जिसका इंद्राज थाना हाजा के रोजनामचाआम दिनांक 31.10.2009 को रपट नं० 19 समय 8.30 बजे अंकित किया गया है। जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे वह पहचानता व प्रमाणित करता है। जो कार्बन प्रति है जो एक ही प्रासेस में तैयार है पत्रावली में कागज संख्या 6क/2 संलग्न है, जिस पर प्रदर्श क-15 डाला गया।

25क. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से जिरह/प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी ने मुख्य रुप से इस आशय का स्पष्ट कथन किया कि असल जी.डी. उसके सामने आज नहीं है। जिस समय मुकदमा कायम हुआ उस समय विजय शंकर तिवारी थाने पर मौजूद थे। मुल्जिम बैजनाथ स्वयं थाने आया था। कोई सिपाही थाने का उसे नहीं लाया था। यह कहना गलत है कि बैजनाथ को थाने के सिपाही

थाने पर लेकर आये थे और उससे जबरदस्ती थाने पर तहरीर बोलकर लिखवाया गया।

26. अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षी **पी.डब्लू.-10 चन्द्रदेव कुशवाहा पुत्र स्व० रामजीत, उम्र 66 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम जमुई, थाना सलेमपुर जिला देवरिया** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में मुख्यतः यह कथन किया है दिनांक 31.10.2009 को थाना मुलहरिया में आरक्षी के पद पर तैनात था। दिनांक 31.10.2009 को मृतक दिनेश का पंचायतनामा उपनिरीक्षक रामबृक्ष राम के द्वारा तैयार किया गया साथ में वह भी उपस्थित था। पंचायतनामा पर गवाह को उसका हस्ताक्षर दिखाया गया तो गवाह ने बताया कि उसका ही हस्ताक्षर है जिसकी वह पहचान करता है, जिस पर पहले से ही दिनांक 27.07.2015 को प्रदर्श क-1 पड़ा हुआ है। उसे रामबृक्ष राम के हस्ताक्षर को दिखाया गया तो गवाह ने कहा कि यह उन्हीं का हस्ताक्षर है तथा पंचायतनामा उपनिरीक्षक रामबृक्ष राम द्वारा तैयार किया गया है। साक्षी को कागज संख्या 11 क-1 व कागज संख्या12 क-1, 13 क-1, 14 क-1, 15 क-1 व 15 क-2 दिखाया गया तो गवाह ने कहा कि सभी कागजात उपनिरीक्षक रामबृक्ष राम द्वारा तैयार किया गया है। जिस पर क्रमशः प्रदर्श क-16, क-17, क-18, क-19, क-20, क-21 डाला गया।

26 क. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से जिरह/प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी ने मुख्य रुप से इस आशय का स्पष्ट कथन किया कि मृतक दिनेश की लाश मर्चरी में रखी हुई थी। वहीं देखे थे और वहीं पंचनामा तैयार हुआ था। वह पंचनामा करने वाले एस.आई. रामबृक्ष राम के साथ मौजूद था। विवेचनाधिकारी नें उसका बयान कब लिया था याद नहीं है। यह कहना गलत है कि उसके सामने पंचायतनामा तैयार हुआ था और न गवाहों ने उसके सामने दस्तखत बनाया था।

27. **प्रस्तुत मामले में प्रश्नगत अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित आरोप एवं उभय-पक्ष के विद्वान अधिवक्तगण के तर्कों एवं अभियोजन पक्ष**

द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक अभिसाक्ष्य के आलोक में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा- 354(1)(ख) के अंतर्गत वाद के सम्यक् न्याय निर्णयन हेतु निम्नलिखित विनिश्चय बिन्दु/प्रश्न (Point of Determination) सुनिश्चित किये जाते हैं:-

(I) क्या प्रस्तुत मामले में साक्षीगण पी०डब्लू०-1 मोतीलाल, पी०डब्लू०-2 चानमती, पी०डब्लू०-3 अवनीश कुमार एवं पी०डब्लू०-6 सुमन पासवान हितबद्ध एवं रिलेटेड विटनेस' हैं एवं उनके द्वारा दिया गया साक्ष्य अविश्वसनीय है?

(II) क्या मामले में विवेचना त्रुटिपूर्ण है एवं अभियुक्तगण उसका लाभ पाने के अधिकारी हैं?

(III) क्या प्रस्तुत मामले में भा.दं.सं. की धारा-34 के प्रावधान आकर्षित होते है?

(IV) क्या अभियुक्तगण के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा- 182,286,304 व आयुध अधिनियम की धारा-3/25 के तहत लगाये गये आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित होते है?

उपरोक्त सभी बिन्दुओं/प्रश्नों के संदर्भ में विनिश्चय का क्रमवार विश्लेषण निम्नवत है:-

निस्तारण अवधारणीय बिन्दु संख्या-01:-

28. क्या प्रस्तुत मामले में साक्षीगण पी०डब्लू०-1 मोतीलाल, पी०डब्लू०-2 चानमती, पी०डब्लू०-3 अवनीश कुमार एवं पी०डब्लू०-6 सुमन पासवान हितबद्ध एवं रिलेटेड विटनेस' हैं एवं उनके द्वारा दिया गया साक्ष्य अविश्वसनीय है?

28(A). इस संदर्भ में बचाव-पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित कराए गए साक्षी पी०डब्लू०-1 मोतीलाल, पी०डब्लू०-2 चानमती, पी०डब्लू०-3 अवनीश कुमार एवं पी०डब्लू०-6 सुमन पासवान, क्रमशः मृतक दिनेश पासवान के पिता, माता, भाई एवं बहन हैं, जो कि आपस में हितबद्ध साक्षी हैं और इन्होंने जान-बूझ कर मुख्य परीक्षा में गलत कथन किये हैं एवं इनके द्वारा दिये गये साक्ष्य अविश्वसनीय है। इसके

विपरीत अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि मात्र हितबद्ध साक्षी होने के कारण किसी साक्षी के साक्ष्य के अविश्नसनीय नहीं माना जा सकता है और इन साक्षियों द्वारा न्यायालय के समक्ष दिया गया बयान पूर्ण रूप से विश्वसनीय है।

28(B). उभय-पक्ष के तर्कों एवं उपरोक्त साक्षियों द्वारा दिए गए बयान एवं मामले के तथ्यों से स्पष्ट है कि उपरोक्त साक्षीगण आपस में हितबद्ध साक्षी हैं, लेकिन जहाँ तक इनके साक्ष्य की विश्वसनीयता का प्रश्न है, इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नांकित विधि-व्यवस्था प्रतिपादित की गई हैं-

(i) जलपत राम बनाम हरियाणा राज्य (2011) ए.डी. (सी.आर.)3-453

(ii) वमन बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) जे.टी. 7-24

(iii) धारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए.आई.आर. (2013) एस.सी. 308

(iv) रामजी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2020) 2 एस.सी.सी. 425

(v) प्रवत चन्द्र मोहन्ती बनाम ओडिशा राज्य (2021)3 एस.सी.सी.529

28(C). निश्चित रूप से उक्त सभी विधि व्यवस्थाओं में मुख्य रूप से यही कहा गया है कि हितबद्ध साक्षी के साक्ष्य महज हितबद्ध होने के कारण ही अविश्वसनीय नहीं माने जा सकते। यदि उसका साक्ष्य विश्वसनीय एवं प्रमाणिक है तो उस पर दोषसिद्धि अधिरोपित की जा सकती है, लेकिन उसके साक्ष्य का मूल्यांकन सावधानीपूर्वक दक्षता से किया जाना चाहिए तथा मामले के तथ्यों एवं वातावरण के परिप्रेक्ष्य पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है तो उसकी सम्पुष्टि अन्य साक्षियों के साक्ष्य से होनी आवश्यक है।

28(D). उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं साक्षियों द्वारा दिए गए बयान के आलोक में यदि प्रस्तुत मामले को देखे तो बचाव पक्ष का यह कहना कि अभियोजन साक्षीगण पी०डब्लू०-1 मोतीलाल (मृतक के पिता), पी०डब्लू०-2 चानमती (मृतक की माता), पी०डब्लू०-3 अवनीश कुमार (मृतक का भाई) एवं पी०डब्लू०-6 सुमन पासवान (मृतक की बहन) हितबद्ध साक्षी हैं, अतः उनकी गवाही

अविश्वसनीय है, परन्तु यह तर्क विधि एवं न्यायिक सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत है, क्योंकि मात्र संबंध होना किसी साक्षी को अविश्सनीय नहीं माना जा सकता है। निश्चित रुप से इन साक्षियों द्वारा घटना के संबन्ध में जो बयान दिया गया है उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इनके द्वारा घटना के मूल स्वरुप के संबंध में दिये गये बयान में समरुपता है और उपरोक्त सभी साक्षियों के बयान से स्पष्ट है कि घटना के समय मृतक दिनेश पासवान जो गोली की चोट से लहुलुहान होकर जमीन पर गिरा था उस समय घटनास्थल पर केवल बैजनाथ व जयकेश ही थे। दिनेश पासवान को चोटें बैजनाथ द्वारा ही पहुँचाई गयी, जिसके परिणामस्वरुप दौरान इलाज उसकी मृत्यु गोरखपुर मेडिकल कालेज में हो गयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में किये गये अभिकथन एवं उपरोक्त साक्षियों के बयान से घटनास्थल पर मृतक दिनेश पासवान व बैजनाथ के साथ बैठ कर धान की रखवाली करते हुए शराब पीने के संबंध में अभियुक्त जयकेश पासवान की उपस्थिति साबित होती है और उसके संबंध में सभी साक्षियों द्वारा दिये गये बयान में एकरुपता है। जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं पंचायतनामा से होती है। अतः घटना के संबंध में तथ्य के साक्षी पी.डब्लू 1 मोतीलाल, पी०डब्लू०-2 चानमती, पी०डब्लू०-3 अवनीश कुमार एवं पी०डब्लू०-6 सुमन पासवान द्वारा दिये गये बयान विश्वसनीय पाया जाते है और उसे मात्र इस आधार पर नकारा नहीं जा सकता कि उपरोक्त सभी साक्षी हितबद्ध एवं रिलेटेड विटनेस है। ऐसी परिस्थिति में बचाव-पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्कों में कोई बल नहीं पाया जाता है।

निस्तारण अवधारणीय बिन्दु संख्या:-02

29. क्या मामले में विवेचना त्रुटिपूर्ण है एवं अभियुक्तगण उसका लाभ पाने के अधिकारी है?

29(A). इस संदर्भ में यदि देखें तो बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क देते हुए कहा गया है कि प्रस्तुत मामले में विवेचक ने त्रुटिपूर्ण विवेचना की है और बिना पर्याप्त साक्ष्य के ही अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया है। जबकि अभियोजन पक्ष द्वारा कहा

गया है कि पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर ही अभियुक्त बैजनाथ पासवान के विरुद्ध न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया गया है। इसके साथ ही बचाव पक्ष द्वारा यह भी कहा गया है कि विवेचक ने खून आलूदा जूट की बोरी की जो फर्द बनायी है वह गलत ढंग से बनायी गयी और उसे रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा नहीं गया है एवं मृतक या किसी गवाह का कोई खून आलूदा कपड़ा भी अपने कब्जे में नहीं लिया था। साथ ही साथ वस्तु प्रदर्श-1 (रिवाल्वर 32 बोर) को भी बैलेस्टिक परीक्षण हेतु विवेचक द्वारा नहीं भेजा गया। इसलिए भी मामले की विवेचना त्रुटिपूर्ण है। अतः इसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिए। इस तर्क का खण्डन करते हुए अभियोजन पक्ष द्वारा यह कहा गया है कि मामले में फर्द सही ढंग से बनायी गयी है। मामले की सम्पूर्ण विवेचना सम्यक् एवं निष्पक्षपूर्ण तरीके से की गयी है। विवेचना में किसी भूल या त्रुटि का लाभ अभियुक्तगण को नहीं मिलेगा। अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप संदेह से परे साबित है।

उभय पक्ष के उपरोक्त तर्कों के प्रकाश में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में विवेचक द्वारा खून आलूदा जूट की बोरी एवं बरामद शुदा रिवाल्वर को परीक्षण हेतु नहीं भेजा गया है। जिसका कि विधिक रुप से परीक्षण कराया जाना चाहिए इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था निरंजन सिंह बनाम उ०प्र० राज्य 1957 एस.सी.सी. पेज 412 का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा, जिसमें यह अवधारित किया गया है कि दं.प्र.सं. में इस बात का कोई प्राविधान नहीं है कि यदि विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान ऐसी कोई अनियमितता बरती गयी है अथवा साक्ष्य की अनदेखी की गयी है तो उसके आधार पर सम्पूर्ण विवेचना अवैध अथवा अनियमित नहीं होगी। ऐसी परीस्थिति में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्कों के आधार पर सम्पूर्ण अभियोजन केस को संदेहास्पद नहीं कहा जा सकता है।

निस्तारण अवधारणीय बिन्दु संख्या:-03

30. क्या प्रस्तुत मामले में भा.दं.सं. की धारा-34 के प्रावधान आकर्षित होते हैं?

30(A). इस संदर्भ में यदि देखें तो भा.दं.सं. की धारा-**34** अपराधियों के संयुक्त दायित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित करती हैं। जैसा की धारा-**34** की शब्दावली से स्वयं ही स्पष्ट है।

धारा-34 सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किये गये कार्य- जब कि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सब के सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो।

इस धारा को लागू करने हेतु अपराधियों के बीच पूर्व नियोजित योजना और मस्तिष्क का पूर्व मिलन आवश्यक है। किन्तु सामान्य आशय उत्पन्न होने और आपराधिक कृत्य किये जाने के बीच समय का अत्यधिक अन्तर नहीं होना चाहिए। ऐसा राम चन्द्र बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, 1970 सीआरआई०एल०जे० 653 के वाद में निर्णित किया गया है। निश्चित रुप से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कृष्णनन बनाम केरल राज्य ए०आई०आऱ० 1997 सुप्रीम कोर्ट 383 के मामले में यह अभिनिर्णीत किया गया है कि भा.दं.सं. की धारा-34 को लागू करने के लिए किसी खुले कृत्य (ओवर्ट ऐक्ट) को करना कानून की अपेक्षा नहीं है। क्योंकि यह धारा तुरन्त उस क्षण गति में आ जाती है जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राजू बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, MANU/SC/0729/2014 के मामले में यह कहा गया है कि घटनास्थल पर उपस्थिति मात्र से ही भा.दं.सं. की धारा-34 के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में एवं भा.दं.सं. की धारा-34 में निहित मन्तव्य को दृष्टिगत रखते हुए यदि मामले को देखें तो इस न्यायालय का यह निश्चित मत है कि प्रस्तुत मामले में भा.दं.सं. की धारा-34 के प्रावधान आकर्षित नहीं होते है क्योंकि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण के साक्ष्य में बैजनाथ द्वारा दिनेश पासवान को गोली मारना कहा गया है परन्तु जयकेश पासवान के बारे में कोई कथन नहीं की गयी है सिवाय उसकी घटनास्थल पर मौजूदगी के। रिवाल्वर भी बैजनाथ पासवान का ही था एवं इस तथ्य को भी साक्षीगण ने अपने साक्ष्य के माध्यम से साबित किया है। साक्षीगण के साक्ष्य, घटनास्थल की परिस्थितियों, प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अभियोजन के तर्कों से अभियुक्त जयकेश पासवान की अपराध में संलिप्तता दर्शित नहीं हो रही है। उपरोक्त निष्कर्ष को देखते हुए स्पष्ट है कि मृतक दिनेश पासवान को जो उपहति कारित की गयी है वह अभियुक्त बैजनाथ द्वारा किया गया एक स्वतंत्र आपराधिक कृत्य है और फायर किये जाने के संबंध में कोई भी विवृत कार्य (Overt Act) अभियुक्त जयकेश पासवान द्वारा नहीं किया गया है। अतः मात्र घटनास्थल पर अभियुक्त जयकेश पासवान की उपस्थिति से ही यह उपधारणा नहीं की जा सकती है कि दोनों अभियुक्तों के मध्य घटना कारित किये जाने हेतु सामान्य आशय विद्यमान था। सम्यक् विवेचना के बाद आरोप-पत्र भी मात्र अभियुक्त बैजनाथ के विरुद्ध दाखिल किया गया है। बाद में वादी मुकदमा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-319 दं.प्र.सं. पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त जयकेश पासवान को तलब कर साथ में विचारण किया गया। अतः उपरोक्त उद्धत विधि व्यवस्थाओं के आलोक में यह पाया जाता है कि प्रस्तुत मामले में भा.दं.सं. की धारा-34 के प्रावधान आकर्षित नहीं होते है।

<u>निस्तारण अवधारणीय बिन्दु संख्या</u>:-04

31. क्या अभियुक्तगण के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा-182,286,304 व आयुध अधिनियम की धारा-3/25 के तहत लगाये गये आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित होते है?

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सर्वप्रथम यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत मामला धारा-304 ए भा.दं.सं. के अपराध में दर्ज किया गया है और अभियुक्त के विरुद्ध मामला 304 ए भा.दं.सं. के तहत ही बनता है। किन्तु विवेचक द्वारा त्रुटिपूर्ण विवेचना के आधार पर बिना किसी साक्ष्य के मनमाने तरीके से अभियुक्त बैजनाथ के विरुद्ध धारा- 182,286,304 व आयुध अधिनियम की धारा-3/25 के अपराध में आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित कर दिया गया है।

इसके विपरित अभियोजन पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विवेचक द्वारा दौरान विवेचना उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त बैजनाथ के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा-182,286,304 व आयुध अधिनियम की धारा-3/25 के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त धाराओं में आरोप संदेह से परे साबित है। अतः उन्हे दण्डित किये जाने की मांग की गयी है।

उभय़ पक्ष के उपरोक्त तर्कों के आलोक में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का विश्लेषण निर्णय में आगे विस्तृत रुप से किया जायेगा।

32. अब जहाँ तक अभियुक्तगण के विरुद्ध भा.दं.सं. एवं आयुध अधिनियम की धाराओं के तहत लगाये गये आरोपों का प्रश्न है तो उक्त सन्दर्भ में विभिन्न धाराओं के तहत लगाये गये आरोपों के संबन्ध में निष्कर्ष निम्नवत है-

(a) प्रस्तुत मामले में जहाँ तक अभियुक्तगण के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा-304/34 के तहत विरचित आरोप का प्रश्न है तो इस संदर्भ में क्रम संख्या 3 (उपरोक्त) में दिये गये निष्कर्ष से यह साबित हो चुका है कि प्रस्तुत मामले में भा.दं.सं. की धारा-34 के प्रावधान आकर्षित नहीं होते है और उक्त निष्कर्ष में यह पाया गया है कि अभियुक्त बैजनाथ द्वारा की गयी उपहति के परिणामस्वरुप ही दिनेश पासवान की मृत्यु हुई है और प्रस्तुत मामले में अभियुक्त जयकेश पासवान द्वारा कोई भी विवृत कार्य (Overt Act) फायर किये जाने के संबन्ध में किया जाना साबित

नहीं पाया गया है और उस पर उक्त आरोप संदेह से परे साबित नहीं होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या अभियुक्त बैजनाथ को ऐसी स्थिति में उसके स्वयं के आपराधिक कृत्य के लिए अकेले दोषसिद्ध किया जा सकता है। जब कि विचारण भा.दं.सं. की धारा-304 सपठित धारा-34 के प्रावधानों को आकर्षित होना नहीं पाया गया है। इस संबन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *हेमराज बनाम स्टेट (दिल्ली प्रशासन), ए०आई०आर० 1990 सुप्रीम कोर्ट 2252* के मामले में यह अवधारित किया गया है कि यदि आरोप भा.दं.सं की धारा के साथ सपठित धारा-34 के साथ आरोप बना है तो भी अभियुक्त स्वयं के कृत्यों हेतु दोषसिद्ध किया जा सकता है, भले ही अन्य अभियुक्त दोषमुक्त हो जाते है। इसी प्रकार *रघुवीरचन्द्र व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, (2013)12 एस.सी. सी. 294* के मामले में केवल एक अभियुक्त को भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत दोषसिद्ध किया गया और अन्य अभियुक्तों का सामान्य आशय होना नहीं पाया गया। क्योंकि दोषसिद्ध किये गये अभियुक्त द्वारा कारित उपहतियों के परिणामस्वरुप ही मृतक की मृत्यु हुई थी। अतः उपरोक्त निष्कर्ष के आलोक में यह स्पष्ट है कि अभियुक्त बैजनाथ को उसके स्वयं के द्वारा कारित किये गये आपराधिक कृत्यों हेतु दोषसिद्ध किया जा सकता है।

अब प्रश्नन यह उठता है कि क्या अभियुक्त बैजनाथ के विरुद्ध मामला भा.दं.सं. की धारा-304 के भाग-I या भाग-II में आता है तो इस संदर्भ में बचाव पक्ष की ओर से यह कहा गया है कि अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये कोई भी आरोप साबित नहीं होते है और यदि किसी भी परिस्थिति में ऐसा साबित होना पाया भी जाय तो उसके विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा-304 ए से अधिक का मामला नहीं बनता है। जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया है कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा-304 भा.दं.सं. के तहत आरोप सन्देह से परे साबित होता है।

उभय पक्ष के तर्कों के आलोक में यदि मामले को देखें तो उपरोक्त विश्लेषण से यह साबित हो चुका है कि निश्चित रुप से प्रस्तुत मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित नहीं बल्कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। क्योंकि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। किन्तु

अभियोजन पक्ष के तथ्य के साक्षी पी.डब्लू-1 मोतीलाल, पी.डब्लू.-2 चानमती देवी, पी.डब्लू.-3 अवनीश कुमार, एवं पी.डब्लू.-6 सुमन पासवान ने घटना कारित किये जाने के संबंध में उसके मूल स्वरुप को लेकर एक समान बयान दिया है और मृतक दिनेश पासवान पर रिवाल्वर से फायर अभियुक्त बैजनाथ द्वारा ही किया गया है और उसके द्वारा आपराधिक कृत्य एक स्वतंत्र आपराधिक कृत्य है और कोई भी विवृत कार्य (Overt Act) अभियुक्त जयकेश पासवान द्वारा फायर इत्यादि किये जाने के संबंध में किया जाना नहीं पाया गया है। प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्त बैजनाथ पासवान द्वारा मृतक दिनेश पासवान पर फायर किया जाना साबित है। यद्यपि इसमें उसका कोई आशय विद्यमान होना साबित नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए अभियुक्त बैजनाथ पासवान के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा-304 भाग II के तहत मामला साबित पाया जाता है और अभियुक्त जयकेश पासवान को संदेह का लाभ देते हुए दोषी नहीं पाया जाता है।

(b) प्रस्तुत मामले में जहाँ तक अभियुक्तगण के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा-182/34 के तहत विरचित आरोप का प्रश्न है। धारा-182 भा.दं.सं. का संबन्ध किसी व्यक्ति द्वारा दी गयी उस साशय मिथ्या सूचना देने से है, जिससे कि लोकसेवक-

(i) कोई ऐसी बात करे या करने का लोप करे जिसे वह लोकसेवक, यदि उसे उस सम्बन्ध में, जिसके बारे में ऐसी सूचना दी गई है, तथ्यों को सही स्थिति का पता होता तो न करता या करने का लोप न करता, अथवा (ii) ऐसे लोकसेवक विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग करे जिस उपयोग से किसी व्यक्ति का क्षति या क्षोभ हो, दण्ड का उपबन्ध छः महीने तक की अवधि का कारावास, या एक हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों है।

धारा-182 भा.दं.सं में वर्णित तथ्यों के संदर्भ में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त बैजनाथ पासवान द्वारा प्रस्तुत मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट संबन्धित थाना रुद्रपुर पर इस आशय की दर्ज करायी गयी है कि मृतक दिनेश पासवान द्वारा ही उपेक्षा पूर्ण एवं उतावलेपन से 32 बोर के देशी रिवाल्वर को मोड़कर अपने कनपट्टी पर चला लिया गया जिससे कि उसकी मृत्यु हो गयी। जबकि

दौरान विवेचना विवेचक द्वारा यह पाया गया कि अभियुक्त बैजनाथ पासवान द्वारा ही मृतक दिनेश पासवान पर फायर किया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी और विवेचक द्वारा बाद विवेचना अभियुक्त बैजनाथ पासवान के विरुद्ध धारा-182,286,304 भा.दं.सं. व 3/25 आयुध अधिनियम के अपराध में आरोप-पत्र विचारण हेतु न्यायालय प्रेषित किया गया है तथा अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य के उपरोक्त विश्लेषण से अभियुक्त बैजनाथ पासवान के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा-304 भाग II के तहत मामला साबित पाया गया है। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त बैजनाथ पासवान द्वारा घटना कारित किये जाने के पश्चात उसकी साशय मिथ्या सूचना संबन्धित थाने पर दिया जाना एवं उसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होना साबित है। अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर अभियुक्त बैजनाथ पासवान के विरुद्ध धारा-182 भा.दं.सं. का अपराध साबित होना पाया जाता है।

(c) प्रस्तुत मामले में जहाँ तक अभियुक्तगण के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा-286/34 के तहत विरचित आरोप का प्रश्न है। धारा-286 भा.दं.सं. विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण के संबंध में प्रावधान करता है जो इस प्रकार है-

जो कोई, किसी विस्फोटक पदार्थ से, कोई कार्य ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से करता है, जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या जिससे किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना सम्भाव्य हो, या अपने कब्जे में की किसी विस्फोटक पदार्थ की ऐसी व्यवस्था करने का, जैसी ऐसे पदार्थ से मानव जीवन को अधिसम्भाव्य संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो, जानते हुए या उपेक्षापूर्वक लोप करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

धारा-286 भा.दं.सं में वर्णित तथ्यों के संदर्भ में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी.डब्लू.-6 सुमन पासवान ने अपने सशपथ बयान में यह कथन किया है कि घटना के तीन दिन पहले बैजनाथ से उसकी मुलाकात हुयी

थी। बैजनाथ से मुलाकात उसके घर के आगे उसकी मंडई है वहीं पर हुई थी। बैजनाथ घटना के दिन रिवाल्वर लिए हुए था लेकिन वह जान नहीं पायी। वहाँ पर उसका भाई दिनेश भी था। दिनेश ने रिवाल्वर नहीं देखा था। उस दिन उस रिवाल्वर को उसका भाई देखने के लिए मांगा तो वह नहीं दिया और यह कहा कि जो उससे टक्कर लेगा उसकी जान इसी से मार देगा और उसी रिवाल्वर से उसके भाई दिनेश को बैजनाथ ने गोली मार दिया। <u>प्रस्तुत मामले में घटना में प्रयुक्त आग्नेयास्त्र अभियुक्त बैजनाथ द्वारा ही पुलिस को घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ ही सुपुर्द किया गया है।</u> इस प्रकार अभियुक्त बैजनाथ पासवान के पास घटना में प्रयुक्त आग्नेयास्त्र का होना साबित है और अभियोजन साक्ष्य से स्पष्ट है कि अभियुक्त बैजनाथ पासवान के पास 32 बोर की देशी रिवाल्वर थी। जिसको उसने धान की रखवाली करते समय अपने पास लापरवाही पूर्वक रखा था एवं जिससे उसने मृतक दिनेश पासवान के उपर फायर कर उसे चोट पहुँचाई। इस प्रकार अभियुक्त बैजनाथ के विरुद्ध धारा-286 भा.दं.सं. का आरोप साबित होना पाया जाता है।

(d) प्रस्तुत मामले में जहाँ तक अभियुक्त बैजनाथ पासवान के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा-3/25 के तहत विरचित आरोप का प्रश्न है। इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह स्पष्ट रुप से अंकित है कि बैजनाथ पासवान द्वारा ही घटना में प्रयुक्त 32 बोर देशी रिवाल्वर थाने में सुपुर्द किया गया था, जिसको रखने का उसके पास कोई वैध लाईसेन्स नहीं था। घटना में प्रयुक्त उक्त आग्नेयास्त्र अभियुक्त बैजनाथ पासवान का ही था इसकी पुष्टि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी.डब्लू.-6 सुमन पासवान ने अपने सशपथ बयान में यह कथन किया है कि "घटना के तीन दिन पहले बैजनाथ से उसकी मुलाकात हुयी थी। बैजनाथ से मुलाकात उसके घर के आगे उसकी मंडई है वहीं पर हुई थी। बैजनाथ घटना के दिन रिवाल्वर लिए हुए था लेकिन वह जान नहीं पायी। वहाँ पर उसका भाई दिनेश भी था। दिनेश ने रिवाल्वर नहीं देखा था। उस दिन उस रिवाल्वर को उसका भाई देखने के लिए मांगा तो वह नहीं दिया और यह कहा कि जो उससे टक्कर लेगा उसकी जान इसी से मार देगा और उसी रिवाल्वर से उसके भाई दिनेश को बैजनाथ ने गोली मार दिया।"

द्वारा किया गया है। अभियुक्त पक्ष की ओर से अपने बचाव में ऐसा कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष नहीं प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे घटना में प्रयुक्त 32 बोर देशी रिवाल्वर की बरामदगी संदेहास्पद हो सके। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के विश्लेषण से अभियुक्त बैजनाथ पासवान के पास से बरामद आग्नेयास्त्र का दिनेश पासवान की हत्या में प्रयोग किया जाना प्रमाणित है।

पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियोजन अभियुक्त बैजनाथ पासवान के विरुद्ध 182, 286, 304 भा.दं.सं. व 3/25 आयुध अधिनियम के आरोप को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है।

अतः अभियुक्त बैजनाथ पासवान धारा- 182,286,304 भा.दं.सं. व 3/25 आयुध अधिनियम के आरोप में दोष सिद्ध किये जाने योग्य है।

अभियुक्त जयकेश पासवान के विरुद्ध विरचित धारा- 182,286,304 भा.दं.सं. का आरोप अभियोजन संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा है। अतः अभियुक्त जयकेश पासवान धारा- 182, 286, 304 भा.दं.सं. के आरोप में संदेह का लाभ पाते हुए दोष मुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त बैजनाथ पासवान को धारा- 182,286,304 भा.दं.सं. व 3/25 आयुध अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त बैजनाथ पासवान जमानत पर है। उसके जमानत प्रपत्र निरस्त किये जाते है तथा उसके प्रतिभूगण उन्मोचित किये जाते है। अभियुक्त बैजनाथ पासवान को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाय।

अभियुक्त जयकेश पासवान को धारा- 182,286,304 के आरोपों में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है। जयकेश पासवान जमानत पर है। उसके जमानत प्रपत्र निरस्त किये जाते है तथा प्रतिभूगण उन्मोचित किये जाते है। अभियुक्तगण बैजनाथ पासवान एवं जयकेश पासवान द्वारा दं.प्र.सं. की धारा-437 ए के अनुपालन में

20,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू निष्पादित किया जा चुका है, जो 6 माह की अवधि के लिए प्रभावी रहेंगे।

अभियुक्त बैजनाथ पासवान की पत्रावली सजा के बिन्दु पर सुनवायी हेतु दिनांक 01.06.2026 को पेश हो। अभियुक्त का अभिरक्षा वारण्ट तैयार कर उसे जिला कारागार देवरिया भेजा जाए।

sd/-

दिनांक 30.05.2026 **धनेन्द्र प्रताप सिंह**
सत्र न्यायाधीश,
देवरिया।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित तथा उद्घोषित किया गया।

sd/-

दिनांक 30.05.2026 **धनेन्द्र प्रताप सिंह**
सत्र न्यायाधीश,
देवरिया।

01.06.2026

अभियुक्त बैजनाथ पासवान न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित है।

अभियुक्त बैजनाथ पासवान के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि उसके द्वारा कारित यह प्रथम अपराध है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त सीधा-साधा गरीब व्यक्ति है तथा मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण-पोषण करता है एवं परिवार का एकमात्र कमाउ सदस्य है, उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं। घटना के समय अभियुक्त एवं मृतक का नशे में होना कहा गया है। अतः उसके प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए उसे कम से कम सजा से दण्डित किया जाए।

इसके विपरीत अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अपराध को गम्भीर प्रकृति का बताते हुए अभियुक्त को अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सजा के बिन्दु पर सुना गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अभियुक्त की घटना में भूमिका तथा प्रश्नगत अपराध के लिए विधि में दिये गये दण्ड एवं अधिरोपित किये जाने वाले दण्ड के मध्य सामानुपतिकता के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए तथा अभियुक्त की आयु एवं उसकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सिद्धदोष अभियुक्त बैजनाथ पासवान को क्रमशः भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 182 के आरोप में छः माह के कारावास एवं 1000/-(एक हजार) रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को दस दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया जाना, भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 286 के आरोप में छः माह के कारावास एवं 1000/-(एक हजार) रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को दस दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया जाना, भारतीय दण्ड संहिता की धारा-304 के आरोप में सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000/-(पांच हजार) रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना, अर्थदण्ड न अदा

करने पर अभियुक्त को तीन माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जाना, आयुध अधिनियम की धारा-3/25 के आरोप में दो वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अभियुक्त बैजनाथ पासवान को धारा-182 भा.दं.सं. के आरोप में छः माह के कारावास एवं 1000/-(एक हजार) रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को दस दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

अभियुक्त बैजनाथ पासवान को धारा-286 भा.दं.सं. के आरोप में छः माह के कारावास एवं 1000/-(एक हजार) रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को दस दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

अभियुक्त बैजनाथ पासवान को धारा-304 भा.दं.सं. के आरोप में सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000/-(पांच हजार) रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

अभियुक्त बैजनाथ पासवान को धारा-3/25 आयुध अधिनियम के आरोप में दो वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त की सभी सजाये साथ-साथ चलेगी।

दोषसिद्ध अभियुक्त बैजनाथ पासवान का दोषसिद्धि वारण्ट बनाकर उसे अधिरोपित की गयी उपरोक्त सजा भुगतने के लिए जिला कारागार देवरिया प्रेषित किया जाय।

प्रस्तुत मामले से संबंधित समस्त भौतिक प्रदर्श, अपील के अवधि तक सुरक्षित रखे जाएं तथा दौरान अपील अथवा अपील अवधि की समाप्ति के उपरान्त, नियमानुसार निस्तारित किये जाएं।

निर्णय की प्रतिलिपि अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाय।

इस निर्णय की प्रतिलिपि संबन्धित सत्र परीक्षण संख्या 56/2010, राज्य प्रति बैजनाथ पासवान, अन्तर्गत धारा-3/25 आयुध अधिनियम, की पत्रावली पर रखा जाय।

sd/-

(धनेन्द्र प्रताप सिंह)

दिनांकः-01.06.2026 **सत्र न्यायाधीश,**

देवरिया।

यह दण्डादेश, आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

sd/-

(धनेन्द्र प्रताप सिंह)

दिनांकः-01.06.2026 **सत्र न्यायाधीश,**

देवरिया।